



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-26032024-253360
CG-TL-E-26032024-253360

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 207]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 22, 2024/चैत्र 2, 1946

No. 207]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 22, 2024/CHAITRA 2, 1946

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 20 मार्च, 2024

आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं का पंजीकरण, पूँजी विन्यास, शेयरों का अंतरण और सम्मेलन) विनियम, 2024

फा.सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/ 6/200/2024.—बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 3, धारा 3ए, धारा 6ए, धारा 35, धारा 37ए की उप-धारा (4ए) और धारा 114ए तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 14 और धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् –

अध्याय I-प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) **संक्षिप्त नाम:** ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं का पंजीकरण, पूँजी विन्यास, शेयरों का अंतरण और सम्मेलन) विनियम, 2024 कहलाएंगे।
- (2) **प्रारंभ:** ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- (3) इन विनियमों की समीक्षा प्रकाशन की तारीख से प्रत्येक 3 (तीन) वर्ष में एक बार की जाएगी, जब तक कि इसके पहले इनकी समीक्षा, निरसन या संशोधन की आवश्यकता न हो।

2. उद्देश्य:

बीमाकर्ता के पंजीकरण, शेयरधारिता के अंतरण, अन्य प्रकार की पूँजी, बीमाकर्ताओं के सम्मेलन, शेयर बाजार में बीमाकर्ताओं के शेयरों की सूचीबद्धता की प्रक्रिया को सरल बनाने के द्वारा बीमा क्षेत्र की वृद्धि का संवर्धन करना तथा व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ाना।

3. परिभाषाएँ

(1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं होता –

- (क) “अधिनियम” से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;
- (ख) “आवेदक” से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा (20) में यथापरिभाषित कंपनी अथवा संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय अथवा सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है, जो बीमा व्यवसाय करने के लिए प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करता है।
- (ग) “नियत दिनांक” से अभिप्रेत है
 - (i) अध्याय VI के प्रयोजन के लिए, नियत दिनांक के रूप में योजना में विनिर्दिष्ट दिनांक।
 - (ii) अध्याय VII के प्रयोजन के लिए, अधिनियम की धारा 37ए की उप-धारा (4) के अनुसार सरकारी राजपत्र में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित, समामेलन की योजना में उल्लिखित दिनांक, जिस दिनांक को समामेलन की योजना के उपबंध प्रवृत्त होंगे;
- (घ) “आस्तियाँ”, अध्याय VII के प्रयोजन के लिए, मूल बीमाकर्ता की संपत्तियों सहित सभी आस्तियों को शामिल करती हैं, जिनका अधिग्रहण योजना के अनुसार अंतरिती बीमाकर्ता द्वारा किया जाएगा;
- (ङ) “प्राधिकरण” से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (च) “क्षतिपूर्ति”, अध्याय VII के प्रयोजन के लिए इन विनियमों के अनुसार प्राधिकरण के द्वारा निर्धारित तथा शेयरधारकों अथवा सदस्यों को नकद या वस्तु रूप में देय राशि अभिप्रेत है, समामेलन से परिणत होनेवाले अंतरिती बीमाकर्ता में जिनके हित, अथवा अंतरिती बीमाकर्ता के विरुद्ध जिनके अधिकार मूल बीमाकर्ता में निहित जिनके हितों अथवा मूल बीमाकर्ता के विरुद्ध जिनके अधिकारों से कम हैं;
- (छ) “सक्षम प्राधिकारी” से अभिप्रेत है-
 - (i) अध्यक्ष, या
 - (ii) ऐसे पूर्णकालिक सदस्य अथवा पूर्णकालिक सदस्यों की ऐसी समिति अथवा प्राधिकरण के ऐसे अधिकारी (ओं), जैसा अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित किया गया हो।
- (ज) “ऋण-भार” में निम्नलिखित शामिल होंगे –
 - (i) गिरवी, ग्रहणाधिकार, प्रभार चाहे किसी भी नाम से कहलाए।
 - (ii) ऋण-भार के स्वरूप की कोई प्रसंविदा, लेनदेन, शर्त या व्यवस्था चाहे किसी भी नाम से कहलाए।
- (झ) “विदेशी निवेशक” का अर्थ वही होगा जो भारतीय बीमा कंपनियाँ (विदेशी निवेश) नियम, 2015 के नियम 2 के खंड (1) के उप-खंड (छ) में उसके लिए निर्धारित किया गया है।
- (ञ) “विदेशी प्रवर्तक” से व्यक्तियों को छोड़कर “विदेशी निवेशक” अभिप्रेत हैं, जो निम्नलिखित एक या उससे अधिक शर्तें पूरी करते हैं:
 - (i) जिसे किसी प्रास्पेक्टस में इस प्रकार का नाम दिया गया है या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 में उल्लिखित वार्षिक विवरणी में कंपनी द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है;
 - (ii) शेयरधारक, निदेशक या अन्य प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के कार्यों पर जिसका नियंत्रण है; अथवा
 - (iii) जिसके परामर्श, निदेशों या अनुदेशों के अनुसार कंपनी का निदेशक बोर्ड कार्य करने का अभ्यस्त है।

बशर्ते कि उप-खंड (iii) में उल्लिखित कोई भी बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो केवल व्यावसायिक क्षमता में कार्य कर रहा है।
- (ट) “भारतीय निवेशक” से विदेशी निवेशकों को छोड़कर अन्य “निवेशक” अभिप्रेत हैं।

(ठ) “भारतीय प्रवर्तक” से अभिप्रेत है –

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में यथापरिभाषित कंपनी, जो उस अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) में यथापरिभाषित सहायक संस्था नहीं है:

बशर्ते कि किसी सहायक कंपनी को आवेदक का प्रवर्तक होने की अनुमति दी जा सकती है यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है:

- (क) उपर्युक्त कंपनी भारत में शेयर बाजार(रों) में सूचीबद्ध है;
- (ख) उपर्युक्त कंपनी की निधियों का अपना स्वयं का स्रोत है, जो उसकी धारक कंपनी से स्वतंत्र है;
- (ग) उपर्युक्त कंपनी के पास आवेदन की तारीख से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में कम से कम रु. 500 करोड़ की निवल मालियत (नेट वर्थ) है; तथा
- (घ) उपर्युक्त कंपनी की धारक कंपनी किसी अन्य कंपनी की सहायक संस्था नहीं है।
- (ii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में यथापरिभाषित एक बैंकिंग कंपनी, परंतु इसमें भारत में पूर्णतः स्वामित्वप्राप्त सहायक संस्था अथवा एक शाखा के रूप में कोई विदेशी बैंक शामिल नहीं है।
- (iii) समय-समय पर यथासंशोधित कोर निवेश कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के अंतर्गत कोर निवेश कंपनी।
- (iv) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (72) में यथापरिभाषित सरकारी वित्तीय संस्था।
- (v) फिलहाल प्रचलित किसी संगत विधि के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी सोसाइटी।
- (vi) सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) के अधीन बनाई गई सीमित देयता भागीदारी।
- (vii) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत नान-आपरेटिव वित्तीय धारक कंपनी।
- (viii) समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा अनुमत कोई अन्य व्यक्ति या संस्था।

जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (69) में निर्दिष्ट एक या उससे अधिक शर्तों को पूरा करती है।

(ड) “निवेशक” से बीमाकर्ता का शेयरधारक अभिप्रेत है जो बीमाकर्ता का प्रवर्तक नहीं है।

- (ढ) “प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति” के अंतर्गत बीमाकर्ता या आवेदक की कोर प्रबंधन टीम के सदस्य सम्मिलित हैं जिनमें सभी पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी से एक स्तर नीचे के कार्यात्मक प्रमुख शामिल हैं जिनमें मुख्य वित्तीय अधिकारी, नियुक्त बीमांकक, मुख्य निवेश अधिकारी, मुख्य जोखिम अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी और कंपनी सचिव आते हैं।

- (ण) “देयताएँ” अध्याय VII के प्रयोजनों के लिए, मूल बीमाकर्ता की आकस्मिक देयताओं सहित, यदि कोई हों, देयताओं को शामिल करती हैं, जो योजना के अनुसार जिनका अधिग्रहण अंतरिती बीमाकर्ता द्वारा किया जाएगा;

- (त) “विलयित संस्था” से अध्याय VI के प्रयोजन के लिए, योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप परिणामी बीमाकर्ता अभिप्रेत है;

- (थ) “मूल बीमाकर्ता” से अध्याय VII के प्रयोजन के लिए, वह बीमाकर्ता अभिप्रेत है जो समामेलन की योजना के अनुसार अंतरिती बीमाकर्ता के साथ समामेलित है;

- (द) “अन्य प्रकार की पूँजी” से यहाँ इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट तरीके से बीमाकर्ता द्वारा जारी किये गये निम्नलिखित लिखत अभिप्रेत हैं:

- (i) अधिमानी शेयर पूँजी; या

- (ii) गौण कर्ज।
- (ध) “अधिमानि शेयर पूँजी” का अर्थ वही होगा जो उसके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित किया गया है।
- (न) “प्रारंभिक व्यय” से किसी आवेदक के निर्माण से संबंधित व्यय अभिप्रेत हैं और इनमें आवेदक के निर्माण के लिए किये गये विधिक, लेखांकन और शेयर निर्गम व्यय तथा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने से पहले किये गये व्यय शामिल होगा।
- (त) “निजी ईक्विटी निधि” या “पीई निधि” में शामिल है –
- (i) सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012 के अधीन पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधि या उसका प्रबंधक;
 - (ii) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएँ केन्द्र प्राधिकरण के पास निवेश के प्रयोजन के लिए पंजीकृत कोई निधि या उसका प्रबंधक; या
 - (iii) निधियाँ, जो निवेश के प्रयोजन के लिए बनाई गई हैं, जो किसी वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) में अनुपालक अधिकार-क्षेत्र में संबंधित वित्तीय क्षेत्र विनियमनकर्ता के पास पंजीकृत हैं अथवा जिनका प्रबंधक पंजीकृत है।
- (प) “प्रवर्तक” से भारतीय प्रवर्तक या विदेशी प्रवर्तक या दोनों अभिप्रेत हैं।
- (फ) “आस्तियों का अवशिष्ट मूल्य” से अध्याय VII के प्रयोजन के लिए अभिप्रेत है, नियत दिनांक से तत्काल पहले के दिन की स्थिति के अनुसार मूल बीमाकर्ता की आस्तियों के मूल्य के समान राशि में से उसकी देयताओं की कुल राशि घटाकर, अध्याय VII के उपबंधों के अनुसार संगणित शेष राशि;
- (ब) “योजना” से अध्याय VI के प्रयोजनों के लिए अभिप्रेत है, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 35 के अधीन बनाई गई समामेलन और अंतरण की योजना, जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 37ए द्वारा नियंत्रित नहीं है;
- (भ) “समामेलन की योजना” अध्याय VII के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई तथा अधिनियम की धारा 37ए के उपबंधों के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत और अधिसूचित योजना अभिप्रेत है;
- (म) “शेयरधारक या सदस्य” से अध्याय VII के प्रयोजनों के लिए, समामेलन की योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किये जानेवाले नियत दिनांक से तत्काल पहले मूल बीमाकर्ता के शेयरधारक या सदस्य अभिप्रेत हैं;
- (कक) “विशेष प्रयोजन माध्यम” से किसी बीमाकर्ता में निवेश करने के प्रयोजन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन पंजीकृत कंपनी अथवा सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन बनाई गई सीमित देयता भागीदारी अभिप्रेत है।
- (खख) “गौण कर्ज” से अभिप्रेत है: (क) कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड (30) धारा 2 में यथापरिभाषित “डिबेंचर”; तथा (ख) प्राधिकरण द्वारा अनुमत किया जानेवाला किसी अन्य श्रेणी का कर्ज लिखत।
- (गग) “लेनदेन करनेवाले बीमाकर्ता” से, अध्याय VI के प्रयोजन के लिए, ‘अंतरणकर्ता बीमाकर्ता’ और ‘अंतरिती बीमाकर्ता’ अभिप्रेत हैं;
- (घघ) “अंतरिती बीमाकर्ता” से अभिप्रेत है
- (i) अध्याय VI के प्रयोजन के लिए अभिप्रेत है, वह बीमाकर्ता जिसमें ‘अंतरणकर्ता बीमाकर्ता’ के समामेलित किये जाने का प्रस्ताव है अथवा जो समामेलन और अंतरण की योजना के अंतर्गत बीमा व्यवसाय के उपक्रम(मों) का अधिग्रहण करेगा;
 - (ii) अध्याय VII के प्रयोजन के लिए, वह बीमाकर्ता जिसके साथ मूल बीमाकर्ता समामेलन की योजना के अनुसार समामेलित है;
- (ङङ) “अंतरणकर्ता बीमाकर्ता” से, अध्याय VI के प्रयोजन के लिए अभिप्रेत है वह बीमाकर्ता या वे बीमाकर्ता जिसका/जिनका समामेलन ‘अंतरिती बीमाकर्ता’ के साथ किया जाएगा अथवा जो समामेलन और अंतरण की योजना के अंतर्गत ‘अंतरिती बीमाकर्ता’ को बीमा व्यवसाय के उपक्रम का अंतरण करेगा/करेंगे।

(चच) “शेयरों का अंतरण” में वर्तमान शेयर धारक(कों) से किसी अन्य व्यक्ति को शेयरों का अंतरण सम्मिलित है तथा इसमें ईक्विटी शेयरों का प्रेषण और नया निर्गम शामिल है जो किसी बीमाकर्ता की शेयरधारिता के स्वरूप में परिवर्तन के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।

- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4), या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो क्रमशः उन अधिनियमों, नियमों या विनियमों में उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

अध्याय II: बीमाकर्ता का पंजीकरण

4. बीमा व्यवसाय की अनुमत श्रेणियाँ

आवेदक बीमा व्यवसाय के निम्नलिखित किसी एक श्रेणी के लिए पंजीकरण के आवेदन हेतु माँग-पत्र प्रस्तुत कर सकता है:

- (1) जीवन बीमा व्यवसाय।
- (2) साधारण बीमा व्यवसाय।
- (3) स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय एकमात्र तौर पर।
- (4) पुनर्बीमा व्यवसाय एकमात्र तौर पर।

5. आवेदक के लिए निरर्हताएँ : आवेदक निम्नलिखित परिस्थितियों में माँग-पत्र हेतु आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा:

- (1) जहाँ आवेदन की तारीख से पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों के दौरान किसी भी समय पंजीकरण आवेदन के लिए माँग-पत्र अथवा पंजीकरण के लिए आवेदन अस्वीकृत किया गया हो; अथवा
- (2) जहाँ आवेदन की तारीख से पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों के दौरान किसी भी समय प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया गया हो; अथवा
- (3) जहाँ आवेदक के नाम में शब्द ‘बीमा’ (इन्श्योरेंस) या ‘आश्वासन’ (अश्योरेंस) या ‘पुनर्बीमा’ निहित न हों।

6. पंजीकरण के लिए प्रक्रिया

(1) अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी)

- (क) किसी भी कंपनी या सहकारी सोसाइटी को सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना भारत में ऐसे नाम के साथ निगमित नहीं किया जाएगा जिसमें शब्द ‘बीमा’ (इन्श्योरेंस) या ‘आश्वासन’ (अश्योरेंस) या ‘पुनर्बीमा’ निहित हो।
- (ख) विनिर्दिष्ट फार्मेट में अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के निर्गम के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर, उपर्युक्त अनुरोध की उचित जाँच करने के बाद एनओसी जारी किया जा सकता है।
- (ग) जारी किया गया अनापत्ति प्रमाणपत्र, उक्त प्रमाणपत्र की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए विधिमान्य होगा, जिस अवधि के अंदर आवेदक पंजीकरण आवेदन के लिए माँग-पत्र के निर्गम हेतु आवेदन विनिर्दिष्ट फार्म अर्थात् फार्म आईआरडीएआई/आर1 में फाइल करेगा।

बशर्ते कि अनापत्ति प्रमाणपत्र की विधिमान्यता सक्षम प्राधिकारी द्वारा तीन महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए कारण लिखित में दर्ज किये जाएँगे।

(2) आर1 अनुमोदन

- (क) सक्षम प्राधिकारी फार्म आईआरडीएआई/आर1 के निर्गम के लिए आवेदन की प्राप्ति के बाद तथा अपने संतोष के अनुरूप संगत समझे गये विषयों की जाँच करने के उपरांत, फार्म आईआरडीएआई/आर1 जारी कर सकता है, जो उपर्युक्त फार्म के निर्गम की तारीख से तीन महीने की अवधि के लिए विधिमान्य होगा, जिस अवधि के अंदर आवेदक विधिवत् भरा गया फार्म आईआरडीएआई/आर1 प्राधिकरण को उनके विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।

बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी, लिखित में कारण दर्ज करने के द्वारा फार्म आईआरडीएआई/आर1 के निर्गम के लिए आवेदन अस्वीकार कर सकता है।

परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि सक्षम प्राधिकारी लिखित में कारण दर्ज करने के द्वारा अन्य तीन महीने तक आईआरडीएआई/आर1 की विधिमान्यता को बढ़ा सकता है।

(ख) फार्म आईआरडीएआई/आर1 में प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रलेख होंगे-

- (i) किसी कंपनी के मामले में कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया निगमन का प्रमाणपत्र अथवा सहकारी सोसाइटी के मामले में पंजीकरण प्रमाणपत्र;
- (ii) संस्था के अंतर्नियमों (एमओए) और संस्था के बहिर्नियमों (एओए) की एक प्रमाणित प्रति जहाँ आवेदक एक कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन संस्थापित है; अथवा बीमा व्यवसाय करने के लिए सांविधिक निकाय की स्थापना करते हुए संसद के विधि-निर्माण की एक प्रमाणित प्रति जहाँ आवेदक एक सांविधिक निकाय है, अथवा उप-विधियों की एक प्रमाणित प्रति जहाँ आवेदक एक सहकारी सोसाइटी है;
- (iii) प्रवर्तक(कों) और आवेदक के निदेशकों का नाम, पता और व्यवसाय;
- (iv) पिछले पाँच वर्षों तक, जैसा लागू हो, के लिए प्रवर्तक(कों) की वार्षिक रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि;
- (v) आवेदक के प्रवर्तक(कों) और निवेशक(कों) के बीच, जैसा लागू हो, शेयरधारकों के करार की प्रमाणित प्रतिलिपि;
- (vi) आवेदक के निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित पाँच वर्ष के लिए व्यवसाय का पूर्वानुमान, भारतीय बीमांकक संस्थान के एक फेलो सदस्य से प्राप्त प्रमाणपत्र के साथ कि उक्त पूर्वानुमान युक्तियुक्त और व्यवहार्य हैं;
- (vii) इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण की किसी भी मान्यताप्राप्त पद्धति के द्वारा फार्म आईआरडीएआई/ आर1 के प्रसंस्करण के लिए लागू करें के साथ पाँच लाख रुपये के वापस न करने योग्य शुल्क के भुगतान के समर्थन में सबूत।

(ग) निम्नलिखित कारक, जहाँ तक संगत समझे जा सकते हैं, फार्म आईआरडीएआई/ आर1 का प्रसंस्करण करते समय ध्यान में रखे जाएँगे, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु जो केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- (i) प्रवर्तक और निवेशक कारोबार या व्यवसाय के जिन क्षेत्रों में लगे हुए हैं उनमें प्रत्येक प्रवर्तक या निवेशक के व्यवहार और कार्यनिष्पादन का सामान्य पिछला रिकार्ड;
- (ii) प्रवर्तकों, निवेशकों और आवेदक के प्रबंधन में निदेशकों और व्यक्तियों के आचरण और कार्यनिष्पादन का रिकार्ड;
- (iii) प्रवर्तकों, निवेशकों और आवेदक की वित्तीय शक्ति;
- (iv) प्रवर्तकों, निवेशकों और आवेदक का पूँजी-विन्यास;
- (v) आवेदक की पूँजीगत आवश्यकताएँ पूरी करनेवाले स्रोत;
- (vi) आवेदक और उसके प्रवर्तक(कों) की शेयरधारिता का स्वरूप;
- (vii) ग्रामीण क्षेत्र में रहनेवाले व्यक्तियों, असंगठित क्षेत्र या अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों, या समाज के आर्थिक रूप से असुरक्षित या पिछड़े वर्गों तथा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों को जीवन बीमा या साधारण बीमा या स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने का दायित्व पूरा करने के लिए आवेदक और उसके प्रवर्तकों की क्षमता;
- (viii) प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में मोटर वाहनों के अन्य पक्ष जोखिमों में बीमा व्यवसाय का जोखिम-अंकन करने के दायित्व को पूरा करने के लिए क्षमता;
- (ix) आवेदक की नियोजित बुनियादी व्यवस्था;
- (x) बीमा व्यवसाय को प्रभावी रूप में संचालित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय के स्थान की स्थापना सहित, आगामी पाँच वर्षों के लिए प्रस्तावित व्यवसाय विस्तार योजना;
- (xi) अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अन्य संगत विषय।

(घ) सक्षम प्राधिकारी संगत समझे गये विषयों की जाँच करने और संतुष्ट होने के उपरांत, उपर्युक्त अनुमोदन पत्र में यथाविनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन “आर1” अनुमोदन जारी करेगा। उपर्युक्त अनुमोदन पत्र के साथ, आवेदक को पंजीकरण के लिए आवेदन अर्थात् फार्म आईआरडीएआई/आर2 जारी किया जाएगा।

(ङ) उक्त “आर1” अनुमोदन उपर्युक्त अनुमोदन की तारीख से तीन महीने की अवधि के लिए विधिमान्य होगा अवधि के भीतर आवेदक प्राधिकरण के विचारार्थ विधिवत् भरा गया फार्म आईआरडीएआई/आर2 प्रस्तुत करेगा।

बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी लिखित में कारण दर्ज करने के द्वारा उक्त “आर1” अनुमोदन की विधिमान्यता और तीन महीने की अतिरिक्त अवधि तक बढ़ा सकता है।

(3) आर2 अनुमोदन

(क) विशिष्ट फार्मेट के अनुसार फार्म आईआरडीएआई/आर2 में प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जाने चाहिए

- (i) आवेदक और उसके प्रवर्तकों के द्वारा एक शपथ-पत्र कि आवेदक की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी प्रारंभिक व्ययों को घटाने के बाद अधिनियम की धारा 6 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त होगी।
- (ii) आवेदन की तारीख की स्थिति के अनुसार यथाविद्यमान आवेदक की शेयरधारिता का स्वरूप निर्दिष्ट करते हुए एक विवरण।
- (iii) आवेदक के प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पूर्णकालिक निदेशक, आवेदक के प्रवर्तक(कों) और निवेशक(कों) के द्वारा यह प्रमाणित करते हुए एक शपथ-पत्र कि अधिनियम की धारा 2 के उप धारा (7ए) के खंड (ख) में उल्लिखित विदेशी प्रदत्त ईक्विटी पूँजी की धारित राशि का परिकलन इन विनियमों के साथ पठित भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी निवेश) नियम, 2015 के अनुसार किया गया है तथा वह आवेदक की कुल प्रदत्त ईक्विटी पूँजी के चौहत्तर प्रतिशत से अधिक नहीं है।

बशर्ते कि भारतीय प्रवर्तक के एक सीमित देयता भागीदारी होने की स्थिति में ऐसे शपथ-पत्र पर प्राधिकृत भागीदार द्वारा हस्ताक्षर किये जाएँगे।

परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि आवेदक के एक सहकारी सोसाइटी होने की स्थिति में उक्त शपथ-पत्र के द्वारा यह प्रमाणित किया जाएगा कि अधिनियम की धारा 2 के उप-धारा (8ए) के खंड (ग) में उल्लिखित विदेशी पूँजी की धारित राशि आवेदक की कुल पूँजी के छब्बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

- (iv) यदि आवेदक के पास विदेशी निवेश है, तो आवेदक के प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पूर्णकालिक निदेशक, आवेदक के प्रवर्तक(कों) और निवेशक(कों) का यह प्रमाणित करते हुए एक शपथ-पत्र कि भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी निवेश) नियम, 2015 की अपेक्षा का अनुपालन किया जाएगा।
- (v) यदि आवेदक के पास उनचास प्रतिशत से अधिक विदेशी निवेश है, तो आवेदक के प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक तथा आवेदक के प्रवर्तकों के द्वारा यह प्रमाणित करते हुए एक शपथ-पत्र कि भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी निवेश) नियम, 2015 की अपेक्षा का अनुपालन किया जाएगा।
- (vi) आवेदक के मानक फार्मों की एक प्रमाणित प्रति तथा बीमा पालिसियों के संबंध में आश्रयित दरों, लाभों, एवं प्रस्तावित की जानेवाली शर्तों और निबंधनों के विवरण, जीवन बीमा व्यवसाय की स्थिति में भारतीय बीमांकक संस्थान के फेलो सदस्य के द्वारा प्रमाणपत्र के साथ कि ऐसी दरें, लाभ, शर्तें और निबंधन व्यवहार्य और सुदृढ़ हैं।
- (vii) प्रवर्तकों और निवेशकों, यदि कोई हों, अथवा समग्र रूप में प्रवर्तकों के बीच किये गये सहमति ज्ञापन अथवा प्रबंध करार अथवा शेयरधारक करार अथवा मताधिकार करार अथवा किसी भी रूप में किये गये किन्हीं अन्य करारों की प्रमाणित प्रति, पक्षकारों के बीच विनिमय किये गये समर्थन अथवा चुकौती आश्रयन पत्रों (कम्फर्ट लेटर्स) की प्रतियों के साथ।
- (viii) किसी व्यवसायी सनदी लेखाकार (सीए) अथवा किसी व्यवसायी कंपनी सचिव से यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाणपत्र कि पंजीकरण से संबंधित सभी अपेक्षाओं, जैसे प्रदत्त ईक्विटी पूँजी, विदेशी निवेश की

सीमाएँ और अधिनियम सहित फिलहाल प्रचलित कानूनों की अन्य लागू अपेक्षाओं का अनुपालन आवेदक के द्वारा किया गया है।

- (ix) इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण की मान्यताप्राप्त किसी भी पद्धति के द्वारा फार्म आईआरडीएआई/आर2 का प्रसंस्करण करने के लिए लागू करों के साथ पाँच लाख रुपये के वापस न करने योग्य शुल्क के भुगतान के समर्थन में सबूत।

(ख) फार्म आईआरडीएआई/आर2 का प्रसंस्करण समाप्त होने के बाद, परंतु प्राधिकरण के द्वारा अनुमोदन किये जाने से पहले, आवेदक निम्नलिखित का प्रस्तुतीकरण करेगा:

- (i) अधिनियम की धारा 6 के अनुसार आवेदक द्वारा ईक्विटी शेयर आवेदन धनराशि प्राप्त करने तथा आवेदक को प्रदान किये गये आर1 अनुमोदन की शर्तों का अनुपालन करने का साक्ष्य।
- (ii) आवेदक, प्रवर्तकों और निवेशकों के द्वारा एक शपथ-पत्र कि पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के बाद, कथित शेयर आवेदन धनराशि आवेदक की प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी के रूप में परिवर्तित की जाएगी।

(ग) प्राधिकरण फार्म आईआरडीएआई/आर2 का प्रसंस्करण करते समय संगत समझे जानेवाले विषयों को ध्यान में रखेगा, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु जो केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं :

- (i) आवेदक के द्वारा दिये जाने के लिए प्रस्तावित बीमा उत्पादों का स्वरूप;
- (ii) आवेदक के प्रबंधन के अंदर बीमांकिक, लेखांकन और अन्य व्यावसायिक विशेषज्ञता का स्तर;
- (iii) बीमा व्यवसाय के संबंध में सभी कार्य संचालित करने के लिए आवेदक की संगठनात्मक संरचना;
- (iv) आवेदक पात्र है तथा उनकी राय में अधिनियम के अंतर्गत लागू किये गये अपने दायित्व प्रभावी रूप में पूरा करने की संभावना है;
- (v) आवेदक के प्रवर्तकों, निवेशकों की वित्तीय स्थिति तथा प्रबंधन का सामान्य स्वरूप सुदृढ़ है;
- (vi) आवेदक को संभवतः उपलब्ध होनेवाले व्यवसाय की मात्रा तथा पूँजी विन्यास और अर्जन की संभावनाएँ पर्याप्त होंगी;
- (vii) यदि आवेदन में विनिर्दिष्ट बीमा व्यवसाय की श्रेणी के संबंध में आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाता है तो जनसाधारण के हितों की रक्षा की जाएगी; तथा
- (viii) आवेदक ने अधिनियम की धाराओं 2सी, 5 और 31ए के उपबंधों का अनुपालन किया है तथा अपने लिए लागू इन धाराओं की सभी अपेक्षाएँ पूरी की हैं।
- (ix) अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए सभी अन्य संगत विषय।

(घ) प्राधिकरण संगत समझे जानेवाले विषयों की जाँच करने के बाद तथा स्वयं संतुष्ट होने पर अपने विवेकानुसार उपर्युक्त अनुमोदन पत्र में विनिर्दिष्ट की जानेवाली शर्तों के अधीन “आर2” अनुमोदन जारी करेगा।

(4) पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना: संगत समझे जानेवाले विषयों की जाँच करने के बाद और स्वयं संतुष्ट होने पर आवेदक को व्यवसाय की उस श्रेणी के लिए बीमाकर्ता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है जिसके लिए आवेदक को उपयुक्त पाया गया हो तथा प्राधिकरण आवेदक को निम्नलिखित शर्तों के अधीन फार्म आईआरडीएआई/आर3 में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान कर सकता है:

- (क) आवेदक तथा उसका(उसके) प्रवर्तक और निवेशक निरंतर आधार पर “योग्य और उपयुक्त” (फिट & प्रोपर) होंगे;
- (ख) प्रवर्तक और निवेशक पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की तारीख से अपनी शेयरधारिता के संबंध में इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अवरुद्धता अवधि (लाक-इन पीरियड) का पालन करेंगे।
- (ग) आवेदक/बीमाकर्ता, उसका(के) प्रवर्तक और निवेशक अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों आदि के उपबंधों का अनुपालन हर समय करेंगे।
- (घ) आवेदक, प्रवर्तक और निवेशक सभी लागू शर्तों का पालन हर समय करेंगे, जिनके अधीन प्रमाणपत्र फार्म आईआरडीएआई/आर3 जारी किया गया है

- (ड) आवेदक 15 दिन के अंदर अधिनियम की धारा 6 के अनुसार अपने प्रवर्तकों और निवेशकों को शेयर आबंटित करने तथा आर1 अनुमोदन और आर2 अनुमोदन के अनुसार शर्तों का अनुपालन करने का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा;
- (च) ऐसी अन्य शर्तें जो पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के समय उपयुक्त समझी जाएँगी।

(5) **बीमा व्यवसाय का प्रारंभ:** आवेदक जिसे इन विनियमों के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है, पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने से 12 महीने के अंदर बीमा व्यवसाय प्रारंभ करेगा। यदि आवेदक निर्धारित समय के अंदर व्यवसाय प्रारंभ नहीं करता, तो पंजीकरण प्रमाणपत्र विधिमान्य नहीं होगा।

बशर्ते कि यदि आवेदक 12 महीने की विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर बीमा व्यवसाय प्रारंभ करने की स्थिति में नहीं है, तो वह उक्त समय-सीमा समाप्त होने से पहले विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर व्यवसाय प्रारंभ न करने के लिए कारण स्पष्ट करते हुए एक लिखित आवेदन के द्वारा सक्षम प्राधिकारी से समय बढ़ाने की अपेक्षा करेगा।

परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की तारीख से 24 महीने के बाद सक्षम प्राधिकारी के द्वारा कोई भी समय-विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।

(6) आवेदन का अस्वीकरण

- (क) अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के निर्गम के लिए आवेदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित में दर्ज किये जानेवाले कारणों से अस्वीकार किया जा सकता है।
- (ख) आर1 आवेदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है अथवा आर2 आवेदन प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित स्थितियों में आवेदक को अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद अस्वीकार किया जा सकता है:
 - (i) जहाँ आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण नहीं है।
 - (ii) जहाँ आवेदक ने इन विनियमों में निर्धारित रूप में शर्तें पूरी नहीं की हैं।
 - (iii) जहाँ अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत की गई अपेक्षाएँ अथवा उसके अधीन बनाये गये विनियमों के अंतर्गत उपबंधों की अपेक्षाएँ प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर पूरी नहीं की गई हैं।
 - (iv) लिखित में दर्ज किये जाने वाले किन्हीं अन्य कारणों से।
- (ग) आवेदन को अस्वीकृत करने वाला आदेश लिखित में सक्षम प्राधिकारी के द्वारा आवेदक को वे कारण बताते हुए जिनसे आवेदन अस्वीकृत किया गया है, तीस दिन की अवधि के अंदर सूचित किया जाएगा।
- (घ) आवेदक, पंजीकरण के लिए जिसका आवेदन किसी भी स्तर पर अस्वीकृत किया गया है, पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) आवेदन को वापस लेना:

- (क) कोई भी आवेदक सक्षम प्राधिकारी को पंजीकरण के लिए आवेदन को वापस लेने के लिए, आवेदन के पंजीकरण के किसी भी स्तर पर, कारणों सहित आवेदन कर सकता है।
- (ख) सक्षम प्राधिकारी प्रत्याहरण के लिए किये गये उपर्युक्त अनुरोध का अनुमोदन कर सकता है अथवा उसे अस्वीकर कर सकता है जिसके लिए कारण लिखित में दर्ज किये जाएँगे।
- (ग) आवेदन को वापस लेने के लिए अनुरोध को अस्वीकार करने की स्थिति में, उक्त आर1 आवेदन अथवा आर 2 आवेदन, जैसी स्थिति हो, विनियम 6(6) के अनुसार अस्वीकार किया जा सकता है।

(8) **अतिरिक्त सूचना और स्पष्टीकरण:** सक्षम प्राधिकारी आवेदक से ऐसी अतिरिक्त सूचना अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की माँग कर सकता है जो इन विनियमों के अंतर्गत आवेदन की जाँच करने के लिए संगत माना जा सकता है।

(9) अनुमोदन के लिए शर्तें :

- (क) सक्षम प्राधिकारी ऐसी शर्तें लागू कर सकता है जो अनापत्ति प्रमाणपत्र और आर1 अनुमोदन अथवा पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करते समय उपयुक्त मानी जा सकती हैं।
- (ख) प्राधिकरण आर2 अनुमोदन प्रदान करते समय उपयुक्त समझी जानेवाली शर्तें लागू कर सकता है।

आवेदक उन शर्तों से आवद्ध होगा जिनके अधीन उक्त अनुमोदन और/या पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

अध्याय III: पूँजी विन्यास

7. प्रत्येक आवेदक/बीमाकर्ता सुनिश्चित करेगा कि वे एक निरंतर आधार पर इस अध्याय का अनुपालन करते हैं।

8. अवरुद्धता अवधि (लाक-इन पीरियड):

- (1). भारत में मान्यताप्राप्त किसी (किन्हीं) शेयर बाजार(रों) में सूचीबद्ध शेयरों से युक्त बीमाकर्ता अवरुद्धता (लाक-इन) के अधीन नहीं होगा।
- (2). उन बीमाकर्ताओं के मामले में जिनके शेयर भारत में मान्यताप्राप्त किसी शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं हैं, बीमाकर्ता के ईक्विटी शेयर निम्नानुसार अवरुद्धता अवधि (लाक-इन पीरियड) के अंतर्गत होंगे:

क्र. सं.	विवरण	निम्नलिखित क्षमता में निवेश	अवरुद्धता-अवधि (लाक-इन पीरियड)
1.	आर3 (अर्थात् पंजीकरण प्रमाणपत्र) जारी करने के समय या उससे पहले निवेश	प्रवर्तक या निवेशक	आर3 प्रदान करने की तारीख से 5 वर्ष
2.	आर3 प्रदान करने के बाद 5 वर्ष के दौरान निवेश: शेयर- धारिता के स्वरूप में परिवर्तन की स्थिति में	प्रवर्तक या निवेशक	निम्नलिखित में जो भी पहले हो: क) निवेश की तारीख से 5 वर्ष; या ख) आर3 प्रदान करने से 8 वर्ष।
3.	आर3 प्रदान करने के 5 वर्ष बाद, परंतु 10 वर्ष पहले निवेश: शेयरधारिता के स्वरूप में परिवर्तन होने की स्थिति में	प्रवर्तक	निम्नलिखित में से जो भी पहले हो: 1) निवेश की तारीख से 3 वर्ष; या 2) आर3 प्रदान करने से 12 वर्ष
		निवेशक	निम्नलिखित में से जो भी पहले हो: 1) निवेश की तारीख से 2 वर्ष; या 2) आर3 प्रदान करने से 11 वर्ष
4.	आर3 प्रदान करने के 10 वर्ष बाद, परंतु 15 वर्ष पहले निवेश: शेयरधारिता के स्वरूप में परिवर्तन होने की स्थिति में	प्रवर्तक	निवेश की तारीख से 2 वर्ष
		निवेशक	निवेश की तारीख से 1 वर्ष
5.	आर3 के प्रदान करने के 15 वर्षों के बाद निवेश	प्रवर्तक	निवेश की तारीख से 1 वर्ष
		निवेशक	शून्य

बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित स्थितियों में अवरुद्धता अवधि को शिथिल कर सकता है:

- (i) भारत में स्थित शेयर बाजार(रों) में अपने शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए बीमाकर्ता को समर्थ बनाने के लिए; या
- (ii) बीमाकर्ता अथवा उसके शेयरधारक(कों) के संबंध में विपद्ग्रस्त वित्तीय स्थिति, लागू कानून में परिवर्तन के अनुसरण में समामेलन या पुनर्गठन की परिस्थितियों में :

परंतु यह भी शर्त होगी कि उक्त अवरुद्धता (लाक-इन) अवधि बीमाकर्ता के कर्मचारियों अथवा निदेशकों के लाभ के लिए बनाई गई किसी योजना के अनुसरण में बीमाकर्ता के कर्मचारियों या निदेशकों को आबंटित ईक्विटी शेयरों के मामले में लागू नहीं होगी:

परंतु यह भी शर्त होगी कि उक्त अवरुद्धता (लाक-इन) अवधि उस स्थिति में लागू नहीं होगी जहाँ निवेशक बीमाकर्ता के ईक्विटी शेयरों के एक प्रतिशत से अनधिक को धारित करता है।

9. योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंड:

- (i) आवेदक, उसके प्रवर्तकों और निवेशकों का योग्य और उपयुक्त मानदंडों पर निर्धारण उन कारकों के आधार पर किया जाएगा, जैसा कि संगत समझा जाएगा, जिनमें इन विनियमों की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कारक शामिल हैं, परंतु जो केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
- (ii) आवेदक, प्रवर्तकों और निवेशकों एक निरंतर आधार पर अर्थात् पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के बाद भी योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) होंगे।
- (iii) यदि आवेदक, उसके प्रवर्तक और/या निवेशक किसी भी स्तर पर योग्य और उपयुक्त नहीं पाये जाते, तो सक्षम प्राधिकारी उपयुक्त समझी जानेवाली कार्रवाई कर सकता है।

10. विशेष प्रयोजन माध्यम: यदि आवेदक का प्रवर्तन किसी विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) के द्वारा किया गया है, तो निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाएगा:

- (1) उक्त एसपीवी ने किसी भी प्रकार के संपरिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किये हैं और जारी नहीं करेगा;
- (2) एसपीवी के कर्मचारियों या निदेशकों को कोई शेयर विकल्प अथवा स्वेद ईक्विटी जारी नहीं किये जाएंगे;
- (3) एसपीवी के शेयरों के अंतरण के लिए प्राधिकरण का पूर्व-अनुमोदन इन विनियमों में विनिर्दिष्ट तरीके के अनुसार अधिनियम की धारा 6ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमाओं के अनुसार प्राप्त किया जाएगा;
- (4) इन विनियमों के अनुसार निवेश सीमाएँ, अवरुद्धता अवधि और अन्य अपेक्षाएँ एसपीवी स्तर पर भी लागू होंगी;
- (5) विनियम 6 के उप-विनियम (2) के खंड (ग) के संबंध में विनिर्दिष्ट किये जानेवाले मानदंड एसपीवी के प्रवर्तक और निवेशक के लिए भी लागू होंगे;
- (6) विनियम 12(3) के अधीन, एसपीवी के द्वारा जारी किये जानेवाले ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन सेबी के पास पंजीकृत किसी श्रेणी-I व्यापारी बैंकर द्वारा जारी किये गये मूल्यांकन प्रमाणपत्र के आधार पर निर्धारित कीमत पर किया जाएगा। ऐसा प्रमाणपत्र शेयरों के आबंटन की तारीख से नब्बे (90) दिन पहले जारी नहीं किया जाना चाहिए। व्यापारी बैंकर ऐसे मूल्यांकन के लिए औचित्य के साथ निदेशक बोर्ड को संबोधित एक उचित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मूल्यांकन रिपोर्ट के महत्वपूर्ण तत्वों के साथ सारांश की प्रति साधारण बैठक की सूचना के साथ शेयरधारकों को भेजी जाएगी; तथा
- (7) एसपीवी की प्रदत्त पूँजी अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत अपेक्षित रूप में आवेदक की न्यूनतम प्रदत्त पूँजी के समान या उससे अधिक होगी।

11. परिचालन कंपनी: यदि आवेदक का प्रवर्तन किसी परिचालन कंपनी के द्वारा किया गया है, तो उक्त प्रवर्तक आवश्यक समुचित सावधानी के अधीन होगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु जो केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- (1) रूप की अपेक्षा, विषय-वस्तु के आधार पर परिचालन कंपनी के स्वरूप की जाँच;
- (2) व्यवसाय के परिचालनों, चलनिधि और लाभप्रदता का पिछला रिकार्ड;
- (3) एक निरंतर आधार पर आवेदक की व्यावसायिक और शोधन-क्षमता की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए पूँजी जुटाने की प्रवर्तक की क्षमता; तथा
- (4) प्रवर्तक की शेयरधारिता का स्वरूप।

12. न्यूनतम प्रदत्त ईक्विटी पूँजी:

- (1) आवेदक की न्यूनतम प्रदत्त ईक्विटी पूँजी निम्नलिखित होगी:

बीमा व्यवसाय की श्रेणी	न्यूनतम प्रदत्त ईक्विटी पूँजी
जीवन बीमा व्यवसाय	रु. एक सौ करोड़
साधारण बीमा व्यवसाय	रु. एक सौ करोड़
एकमात्र स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय	रु. एक सौ करोड़
एकमात्र पुनर्बीमा व्यवसाय	रु. दो सौ करोड़

(2) आवेदक और एसपीवी की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी, यदि कोई हो, प्रारंभिक व्यय घटाने के बाद अधिनियम की धारा 6 की अपेक्षाओं का पालन करने के लिए पर्याप्त होगी।

(3) बीमा व्यवसाय के प्रारंभ के समय तक:

- (i) आवेदक और एसपीवी के ईक्विटी शेयर उनके अंकित मूल्य (फेस वैल्यू) पर जारी किये जाएँगे;
- (ii) उसके शेयरधारकों के द्वारा आवेदक और एसपीवी में निधियाँ लगाना आवेदक और एसपीवी में उनके ईक्विटी हित के प्रतिशत के अनुरूप होगा:

बशर्ते कि बीमाकर्ता या एसपीवी में ईक्विटी शेयरों के निर्गम की अनुमति, व्यवसाय के प्रारंभ के बाद प्रीमियम पर जारी किये जाने के लिए दी जा सकती है।

13. “प्रवर्तक” के रूप में निवेश: किसी बीमाकर्ता में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रवर्तक की क्षमता में निवेश निम्नलिखित का अनुपालन करते हुए होगा:

1. व्यक्ति एक जीवन बीमाकर्ता, एक साधारण बीमाकर्ता, एक स्वास्थ्य बीमाकर्ता और एक पुनर्बीमाकर्ता से अधिक का प्रवर्तक नहीं होगा;

बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी अस्थायी आधार पर बीमा व्यवसाय की एक ही श्रेणी में लगे हुए एक से अधिक बीमाकर्ता का प्रवर्तक होने के लिए किसी व्यक्ति को अनुमति दे सकता है, यदि वह अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत प्राधिकरण के पास फाइल की गई योजना का भाग हो।

2. उक्त व्यक्ति भविष्य में बीमाकर्ता में उसकी शोधन-क्षमता और/या व्यावसायिक अपेक्षाएँ पूरी करने के लिए पूँजी लगाने हेतु एक वचन-पत्र प्रस्तुत करेगा; तथा

3. उक्त व्यक्ति इन विनियमों के अंतर्गत बीमाकर्ता के प्रवर्तक के रूप में कार्य करने के लिए अन्यथा पात्र है।

14. प्रवर्तक(कों) की धारिता: बीमाकर्ता के सभी प्रवर्तक(कों) की न्यूनतम ईक्विटी शेयरधारिता बीमाकर्ता की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी के पचास प्रतिशत से अधिक पर किसी(किन्हीं) प्रवर्तक(कों) से किसी(किन्हीं) अन्य प्रवर्तक(कों) को ईक्विटी शेयरधारिता के अंतरण के बाद भी सामूहिक रूप से अनुरक्षित की जाएगी।

बशर्ते कि प्रवर्तक संयुक्त रूप से बीमाकर्ता में अपना हित बीमाकर्ता की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी के पचास प्रतिशत से नीचे लाते हुए कम कर सकते हैं, परंतु छब्बीस प्रतिशत से नीचे नहीं ला सकते, यदि निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाता है:

- (1) प्रवर्तक(कों) के हित के मंदन (डाइल्यूशन) से तत्काल पूर्ववर्ती 5 वर्ष के दौरान बीमाकर्ता के पास नियंत्रण स्तर से अधिक शोधन-क्षमता अनुपात का पिछला रिकार्ड है; तथा
- (2) बीमाकर्ता के शेयर भारत में शेयर बाजार(रों) में सूचीबद्ध हैं।

परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि किसी भी शेयरधारक का प्रवर्तक से निवेशक के रूप में, अथवा विलोमतः निवेशक से प्रवर्तक के रूप में पुनर्वर्गीकरण केवल सक्षम प्राधिकारी का पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जाएगा।

15. “निवेशक” के रूप में निवेश: किसी बीमाकर्ता में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में निवेशक की क्षमता में निवेश निम्नलिखित का अनुपालन करते हुए किया जाएगा:

- (1) किसी एकल “निवेशक” द्वारा निवेश बीमाकर्ता की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी के पच्चीस प्रतिशत से कम होगा।
- (2) संयुक्त रूप से सभी “निवेशकों” द्वारा निवेश बीमाकर्ता की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी के पचास प्रतिशत से कम होगा।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रतिबंध उस स्थिति में लागू नहीं होगा यदि बीमाकर्ता के ईक्विटी शेयर भारत में शेयर बाजार(रों) में सूचीबद्ध हैं।

(3) **बीमाकर्ताओं की संख्या:**

- (क) एक निवेशक किसी भी संख्या में निवेशकों में निवेश कर सकता है बशर्ते कि निवेश संबंधित बीमाकर्ताओं की प्रदत्त पूँजी के दस प्रतिशत से अधिक न हो।

(ख) यदि निवेश बीमाकर्ताओं की प्रदत्त पूँजी के दस प्रतिशत से अधिक है, परंतु पच्चीस प्रतिशत से कम है, तो उक्त निवेशक द्वारा निवेश बीमा व्यवसाय की प्रत्येक श्रेणी में दो बीमाकर्ताओं से अनधिक संख्या तक सीमित रखा जाएगा।

- (4) किसी असूचीबद्ध बीमाकर्ता में किसी निवेशक द्वारा एकबारगी (वन-टाइम) निवेश करने की स्थिति में निवेशक बीमाकर्ता को इस आशय का प्रारंभ में ही (अपफ्रंट) प्रकटीकरण करेगा। ऐसी स्थिति में, प्रवर्तक बीमाकर्ता में भविष्य में उसकी शोधन-क्षमता और/या व्यावसायिक अपेक्षाएँ, यदि कोई हों, पूरी करने के लिए पूँजी लगाने हेतु प्राधिकरण को एक वचन-पत्र प्रस्तुत करेगा(करेंगे)।

बशर्ते कि बीमाकर्ता की प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी के एक प्रतिशत से कम का अधिग्रहण करनेवाले किसी व्यक्ति के द्वारा किसी निवेश के लिए इस प्रकार का वचन-पत्र अपेक्षित नहीं होगा।

16. निदेशक का नामांकन

- (1) निवेशक बीमाकर्ता के बोर्ड में किसी निदेशक का नामांकन नहीं करेगा यदि उक्त निवेशक द्वारा निवेश संबंधित बीमाकर्ता की प्रदत्त पूँजी के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है।
- (2) निवेशक बीमाकर्ता के बोर्ड में एक से अनधिक निदेशक का नामांकन कर सकता है यदि उसका निवेश संबंधित बीमाकर्ता की प्रदत्त पूँजी के 10 प्रतिशत से अधिक है।
- (3) कोई भी शेयरधारक किसी बीमाकर्ता के बोर्ड में किसी निदेशक का नामांकन नहीं करेगा, यदि उसने बीमा व्यवसाय की उसी श्रेणी में कार्यरत किसी अन्य बीमाकर्ता के बोर्ड में पहले से ही किसी निदेशक का नामांकन कर दिया है।

17. प्रवर्तक और/या निवेशक द्वारा निवेश के लिए अतिरिक्त शर्तें : निवेश निम्नलिखित का भी अनुपालन करते हुए होगा:

- (1) निवेश पूर्णतः स्वयं की निधियों से किया जाएगा, न कि उधार ली गई निधियों से।
- (2) यदि कोई भी समूह संस्थाएँ या एक ही प्रबंधन के अधीन स्थित निगमित निकाय ने भी बीमाकर्ता में निवेश किया है, तो इन विनियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट सीमाएँ समूह स्तर पर लागू होंगी।
इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्तियाँ “समूह” और “एक ही प्रबंधन” के अर्थ वही होंगे जो क्रमशः अधिनियम की धारा 6ए(4)(बी)(iii) के स्पष्टीकरण के अंतर्गत दिये गये हैं।
- (3) किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक बीमाकर्ताओं में निवेश करने की स्थिति में :
(क) उक्त व्यक्ति सामान्य धारिता से संबंधित तथ्य सभी निवेशिती बीमाकर्ताओं को प्रकट करेगा;
(ख) उक्त व्यक्ति बीमाकर्ता के साथ संयुक्त रूप से, हितों के संघर्ष से बचने के लिए व्यवस्था लागू करेगा जो उपर्युक्त सामान्य धारिता के कारण उत्पन्न हो सकता है; तथा
(ग) उपर्युक्त व्यक्ति के द्वारा नामांकित निदेशक अन्य निवेशिती बीमाकर्ता(ओं) से संबंधित ऐसे किसी भी विषय पर चर्चाओं का विरोध करेगा, जहाँ हितों का संघर्ष उत्पन्न हो सकता है:

बशर्ते कि इस विनियम के उप-विनियमों (1) और (3) के अनुसार शर्तें केवल उन्हीं शेयरधारकों पर लागू होंगी जो किसी बीमाकर्ता की ईक्विटी पूँजी के एक प्रतिशत से अधिक धारित करते हैं।

18. निजी ईक्विटी निधियों से निवेश के लिए मानदंड:

- (1) निजी ईक्विटी (पीई) निधियाँ आवेदक में इन विनियमों के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट तरीके से एक प्रवर्तक या निवेशक की क्षमता में निवेश कर सकती हैं।
- (2) बीमाकर्ता की भारी पूँजीगत आवश्यकता के संबंध में प्रस्तावित सीमा सहित, बीमाकर्ता में निवेश, उसके निवेशकों या उसके चार्टर दस्तावेजों को उसके स्थानन ज्ञापन में प्रतिबिंबित पीई निधि की कार्यनीति के अनुसार होगा।
- (3) एक निजी ईक्विटी निधि किसी भी बीमाकर्ता में “प्रवर्तक” की क्षमता में निवेश कर सकती है, केवल यदि वह निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करती हो:
(क) पीई निधि या उसकी मूल निधि के प्रबंधक ने परिचालन के दस वर्ष पूरे किये हैं;

- (ख) अपनी समूह संस्था(ओं) सहित पीई निधि के द्वारा जुटाई गई निधियाँ पाँच सौ मिलियन अमेरिकी डालर (अथवा भारतीय रुपयों में उसके समान राशि) है;
- (ग) पीई निधि के पास उपलब्ध निवेश-योग्य निधियाँ सौ मिलियन अमेरिकी डालर (अथवा भारतीय रुपयों में उसके समान राशि) है; तथा
- (घ) पीई निधि के प्रबंधक के द्वारा व्यवस्थित निधियों का निवेश भारत में वित्तीय क्षेत्र में अथवा अन्य अधिकार-क्षेत्रों में किया गया है।

19. विदेशी प्रवर्तक और विदेशी निवेशक द्वारा धारित ईक्विटी पूँजी के परिकलन का तरीका:

अधिनियम और इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए, आवेदक कंपनी में एक या उससे अधिक विदेशी निवेशकों और/या विदेशी प्रवर्तकों द्वारा ईक्विटी शेयरों की धारिता का परिकलन निम्नानुसार किया जाएगा और वह निम्नलिखित का कुल योग होगा:-

- (i) आवेदक कंपनी में विदेशी उद्यम पूँजी निवेशक(कों) सहित, विदेशी निवेशक(कों) और विदेशी प्रवर्तक(कों) द्वारा धारित प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी की मात्रा; तथा
- (ii) ऐसे विदेशी निवेशक(कों) या विदेशी प्रवर्तक(कों) द्वारा इस विनियम के उप-विनियम (1) में उल्लिखित रूप में भारतीय प्रवर्तक(कों) या भारतीय निवेशक(कों) में स्वयं अथवा अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से धारित या नियंत्रित प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी का अनुपात।

बशर्ते कि उप-विनियम (2) ऐसे किसी भारतीय प्रवर्तक या भारतीय निवेशक के लिए लागू नहीं होगा जो विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (ठ) के उप-खंड (ii) और (iv) में उल्लिखित संस्थाएँ हैं।

परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि उप-विनियम (2) किसी सूचीबद्ध बीमाकर्ता के भारतीय प्रवर्तक या भारतीय निवेशक पर लागू नहीं होगा जहाँ ऐसे भारतीय प्रवर्तक या भारतीय निवेशक भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) और/या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनियमित हैं।

20. आवेदकों एवं बीमाकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे इस अध्याय में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का पालन, जैसा लागू हो, करें।

अध्याय IV: शेयरों का अंतरण

21. शेयरों के अंतरण के लिए पूर्व-अनुमोदन की अपेक्षा:

किसी भी बीमाकर्ता के शेयरों के अंतरण अथवा उसकी ईक्विटी पूँजी के निर्गम का पंजीकरण निम्नलिखित स्थितियों में सक्षम प्राधिकारी के पूर्व-अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा:

- (1) जहाँ अंतरण के बाद, बीमाकर्ता के शेयरों में अंतरिती की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी धारिता बीमा कंपनी की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी के पाँच प्रतिशत से अधिक होने की संभावना है तथा कोई भी परवर्ती अंतरण जहाँ अंतरिती की शेयरधारिता एक वित्तीय वर्ष में बीमाकर्ता की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी के अतिरिक्त 5% से अधिक हो जाती है।
- (2) किसी वैयक्तिक फर्म, किसी समूह के समूह घटक या एक ही प्रबंधन के अंतर्गत निगमित निकाय द्वारा अंतरण किये जाने हेतु उद्दिष्ट शेयरों का अंकित मूल्य संयुक्त रूप से अथवा अलग-अलग बीमाकर्ता की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी के एक प्रतिशत से अधिक है तथा अंतरणकर्ता द्वारा किसी भी अनुवर्ती अंतरण के लिए जहाँ बीमाकर्ता की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी एक वित्तीय वर्ष में प्रदत्त ईक्विटी पूँजी के 1% से अधिक है।
- (3) शेयरों के अंतरण या अधिग्रहण की मात्रा का परिकलन करने के प्रयोजन के लिए, किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये संचयी अंतरणों या अधिग्रहणों पर विचार किया जाएगा, जो किसी अंतरणकर्ता के मामले में लेनदेनों की संख्या और अंतरितियों की संख्या का विचार किये बिना तथा किसी अधिग्राहक के मामले में अंतरणकर्ताओं की संख्या का विचार किये बिना होगा।

बशर्ते कि उन बीमाकर्ताओं के मामले में जिनके ईक्विटी शेयर भारत में मान्यताप्राप्त किसी भी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं, उपर्युक्त संचयन केवल बीमाकर्ताओं के किसी प्रवर्तक द्वारा धारित ईक्विटी शेयरों के संबंध में ही लागू होगा।

22. पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करने का तरीका:

- (1) **विनिर्दिष्ट फार्म में आवेदन:** अधिनियम की धारा 6ए के उपबंधों के अधीन प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन की अपेक्षा करते हुए आवेदन प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट फार्म (फार्मों) में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके साथ आवश्यक दस्तावेज तथा

यथाविनिर्दिष्ट अंतरणकर्ता और अंतरिती का विवरण, प्रस्तावित अंतरिती, उसकी वित्तीय स्थिति, उन निधियों के स्रोत जिसे प्रस्तावित निवेश का किया जाना उद्दिष्ट है, और ऐसी अन्य सूचना जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, का पूरा विवरण दिया जाएगा।

- (2) **लाभकारी शेयरधारिता के संबंध में घोषणा:** शेयरों के अंतरण के लिए आवेदन के साथ प्रस्तावित शेयरधारक से इस आशय की घोषणा कि क्या शेयर अपने स्वयं के लाभ के लिए धारित करने का प्रस्ताव है या एक नामिती के रूप में, चाहे अन्यो की ओर से संयुक्त रूप से या पृथक् रूप से, तथा अन्यो की ओर से होने की स्थिति में हिताधिकारी स्वामी या स्वामियों का नाम, व्यवसाय और पता, एवं प्रत्येक के लाभकारी हित की सीमा के विवरण सहित दी जाएगी।

- (3) **व्यापारी बैंकर द्वारा प्रमाणपत्र:** शेयरों के अंतरण के लिए आवेदन के साथ सेबी के अंतर्गत पंजीकृत श्रेणी-I व्यापारी बैंकर से प्राप्त बीमाकर्ता के प्रति शेयर उचित मूल्य को प्रमाणित करनेवाला एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसा प्रमाणपत्र आवेदन की तारीख से 30 दिन पहले जारी नहीं किया जाना चाहिए:

बशर्ते कि व्यापारी बैंकर द्वारा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता उस स्थिति में नहीं होगी यदि आवेदन शेयर बाजार(रों) में सूचीबद्ध अपने शेयरों से युक्त किसी बीमाकर्ता द्वारा फाइल किया जाता है।

- (4) **प्रसंस्करण शुल्क:** शेयरों के अंतरण के लिए पूर्व अनुमोदन अपेक्षित करनेवाले किसी भी आवेदन के साथ, लागू करों के साथ पाँच लाख रुपये के वापस न करने योग्य शुल्क के भुगतान का सबूत प्रस्तुत किया जाना चाहिए:

बशर्ते कि उपर्युक्त शुल्क लागू करों के साथ पचास लाख रुपये होगा, जहाँ शेयरधारिता का अंतरण बीमाकर्ता की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी के पचास प्रतिशत से अधिक है।

- 23. समुचित सावधानी:** प्राधिकरण अधिनियम की धारा 6ए की उप-धारा (4) के उपबंधों के अधीन शेयरों के अंतरण अथवा प्रस्तावित अंतरिती को शेयरों के निर्गम के लिए अनुमोदन प्रदान करने से पहले, प्रस्तावित अंतरिती के संबंध में आवश्यक समुचित सावधानी संचालित करेगा।

- 24. अनुमोदन के लिए शर्तें :** प्राधिकरण अपना अनुमोदन प्रदान करने से पहले अंतरिती पर ऐसी शर्तें विनिर्दिष्ट करेगा, जैसा कि वह उपयुक्त समझेगा।

- 25. सूचीबद्ध बीमा कंपनियों के मामले में शेयरों का अंतरण:**

- (1) जिस बीमाकर्ता के ईक्विटी शेयर भारत में मान्यताप्राप्त शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं, उसकी प्रदत्त ईक्विटी पूँजी के एक प्रतिशत से अधिक परंतु पाँच प्रतिशत से कम का अंतरण:

(क) कोई भी व्यक्ति ऐसे बीमाकर्ता की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी के एक प्रतिशत से अधिक परंतु पाँच प्रतिशत से कम ईक्विटी शेयरों का अंतरण बीमाकर्ता के पास स्वप्रमाणीकरण फाइल करने के अधीन कर सकता है कि ऐसा अंतरण अन्य लागू कानूनों के अनुपालन में है। बीमाकर्ता के पास किये गये ऐसे फाइलिंग को अधिनियम की धारा 6ए(4)(बी)(iii) के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के माने गये (डीम्ड) अनुमोदन के रूप में समझा जाएगा।

(ख) अंतरणकर्ता लेनदेन के निष्पादन के तत्काल बाद बीमाकर्ता के पास उक्त स्वप्रमाणीकरण फाइल करेगा। अंतरणकर्ता से प्रदत्त ईक्विटी पूँजी के कुल एक प्रतिशत से अधिक किसी(किन्हीं) भी लेनदेन(नों) के लिए अनुपालन सुनिश्चित करना अपेक्षित है।

- (2) भारत में मान्यताप्राप्त किसी भी शेयर बाजार में सूचीबद्ध अपने ईक्विटी शेयरों से युक्त बीमाकर्ता की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी के पाँच प्रतिशत से अधिक अधिग्रहण:

(क) प्रत्येक व्यक्ति किसी बीमाकर्ता के ईक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करने के लिए, जो ऐसे व्यक्ति की समग्र धारिता को उक्त बीमाकर्ता में बीमाकर्ता की प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी के पाँच प्रतिशत से अधिक लेगा या जिसके द्वारा लिये जाने की संभावना है, विनियम 22 में यथाविनिर्दिष्ट तरीके से ऐसे अंतरणों के लिए प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा करेगा।

(ख) ऐसे व्यक्ति के द्वारा, उक्त बीमाकर्ता के ईक्विटी शेयरों के किसी परवर्ती अधिग्रहण के लिए उक्त बीमाकर्ता की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी के दस प्रतिशत के अनधिक तक उक्त बीमाकर्ता में समग्र धारिता को लेगा अथवा जहाँ उसके द्वारा लिये जाने की संभावना है, प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा।

(ग) ऐसे व्यक्ति के द्वारा, उक्त बीमाकर्ता के ईक्विटी शेयरों के किसी परवर्ती अधिग्रहणों के लिए, जो उक्त बीमाकर्ता की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी के दस प्रतिशत से अधिक तक उक्त बीमाकर्ता में समग्र धारिता को लेगा अथवा जहाँ उसके द्वारा लिये जाने की संभावना है, विनियम 22 में विनिर्दिष्ट तरीके से प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

(3) उपर्युक्त किसी बात के होते हुए भी, जब किसी व्यक्ति का अधिग्रहण या समग्र धारित राशि पाँच प्रतिशत से कम होने का प्रस्ताव है तब भी तथा यदि बीमाकर्ता को संदेह है कि बीमाकर्ता में नियंत्रक हित प्राप्त करने के उद्देश्य से व्यक्तियों या समूहों के द्वारा वास्तविक प्रयोजन को छिपाने के लिए पाँच प्रतिशत की उच्चतम सीमा से अधिक हासिल करने के लिए संदिग्ध पद्धतियों का अनुसरण किया गया है, तो संबंधित बीमाकर्ता के द्वारा प्राधिकरण का ध्यान इस ओर दिलाया जाएगा। ऐसे मामलों में, प्राधिकरण के लिए यह उचित होगा कि ऐसे शेयरधारकों से समुचित सावधानी तथा योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) के अनुपालन की अपेक्षा करे।

26. बीमाकर्ता के शेयरों की गिरवी:

- (1) अधिनियम की धारा 6ए(4) (बी) और इस अध्याय में निहित रूप में शेयरों के अंतरण से संबंधित उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित किसी बीमाकर्ता के शेयरों के संबंध में गिरवी अथवा किसी भी अन्य प्रकार के ऋण-भार के निर्माण पर लागू होंगे।
- (2) आवेदक का(के) प्रवर्तक और निवेशक लागू अवरुद्धता (लाक-इन) अवधि के दौरान आवेदक या बीमाकर्ता के ईक्विटी शेयरों पर कोई भी ऋण-भार निर्मित नहीं करेगा(करेंगे)।

27. रिपोर्टिंग की अपेक्षाएँ :

- (1) प्रत्येक बीमाकर्ता जिसे अधिनियम के अधीन पंजीकरण प्रदान किया गया है, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 30 दिन के अंदर प्राधिकरण को एक विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में प्रवर्तक की शेयरधारिता के 1% से अधिक परिवर्तन निर्दिष्ट करते हुए एक विवरण प्रस्तुत करेगा। तथापि, प्रवर्तकों की शेयरधारिता के 5% से अधिक कोई भी परिवर्तन प्राधिकरण को तत्काल सूचित किया जाएगा।
- (2) प्रत्येक बीमाकर्ता वार्षिक आधार पर एक घोषणा फाइल करेगा कि उसके प्रवर्तक और निवेशक 'योग्य और उपयुक्त' (फिट एण्ड प्रोपर) हैं।
- (3) बीमाकर्ता प्राधिकरण को तत्काल सूचित करेंगे यदि अधिनियम, उसके अधीन जारी किये गये विनियमों और दिशानिर्देशों के उपबंधों के संबंध में कोई अनुपालन पाया जाता है।
- (4) अधिनियम की धारा 26 के अनुसार, बीमाकर्ता प्राधिकरण को निम्नलिखित विषयों को प्रभावित करनेवाले किसी भी परिवर्तन के घटित होने या किये जाने पर उसका विवरण तत्काल प्रस्तुत करेगा:
 - (क) प्रवर्तक की शेयरधारिता के संबंध में निर्मित किया गया कोई भी ऋण-भार,
 - (ख) प्रवर्तक के नियंत्रण में कोई भी परिवर्तन,
 - (ग) प्रवर्तक के विरुद्ध की गई कोई भी दंडात्मक या विनियामक कार्रवाई,
 - (घ) समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जानेवाले कोई अन्य विषय।

28. उल्लंघन या अननुपालन के लिए कार्रवाई

प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन के बिना, शेयरधारकों के द्वारा निर्धारित प्रारंभिक सीमाओं से अधिक निष्पादित किये गये शेयरों का कोई भी अंतरण, विनियामक कार्रवाई को आकर्षित करेगा तथा;

- (1) अंतरिती को बीमाकर्ता की किसी भी बैठक में मतदान के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।
- (2) अंतरिती विनिर्दिष्ट प्रारंभिक सीमा से अधिक अधिगृहीत अतिरिक्त शेयरों का शीघ्र निपटान करेगा।

अध्याय V: शेयर बाजार में बीमाकर्ता के ईक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता

29. बीमाकर्ता वर्तमान शेयरधारकों द्वारा ईक्विटी शेयरों के निर्निहितीकरण (डाइवैस्टमेंट) के तौर पर अथवा बीमाकर्ता द्वारा ईक्विटी शेयरों के नये निर्गम के तौर पर अथवा दोनों के द्वारा निम्नलिखित शर्तें पूरी करने के उपरान्त प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत मान्यताप्राप्त शेयर बाजार(रों) में अपने ईक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता के लिए उपयुक्त वित्तीय क्षेत्र विनियमनकर्ता से संपर्क कर सकता है:

- (1) बीमाकर्ता का बोर्ड संकल्प करता है कि ईक्विटी शेयरों की ऐसी सूचीबद्धता पालिसीधारकों के हित में है।
- (2) बीमाकर्ता का बोर्ड संकल्प करता है कि बीमाकर्ता उपर्युक्त वित्तीय क्षेत्र विनियमनकर्ता(ओं) की विनियामक शर्तों का अनुपालन कर सकेगा।

- (3) शेयर बाजार(रों) में ईक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता का उपयोग पूँजी जुटाने या शेयरों का अंतरण करने के लिए नहीं किया जाएगा जो अन्यथा लागू विनियामक उपबंधों का उल्लंघन होगा।
- (4) प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किये गये सभी विनियामक उपबंधों का अनुपालन निष्ठापूर्वक किया जाएगा।
- (5) बीमाकर्ता इन विनियमों के विनियम 21 के साथ पठित अधिनियम की धारा 6ए के द्वारा अपेक्षित रूप में शेयरों के विक्रय और/या नये निर्गम के लिए प्रस्ताव हेतु शेयरों के अंतरण के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर चुका होगा:
बशर्ते कि अंतरिती के विवरण का प्रस्तुतीकरण अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) नहीं होगा।
- (6) साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 10क के अंतर्गत विनिर्दिष्ट बीमाकर्ता उपर्युक्त अधिनियम की धारा 10ख के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- (7) बीमाकर्ता अपने शेयरों की सूचीबद्धता के लिए उपयुक्त वित्तीय क्षेत्र विनियमनकर्ता के साथ संपर्क करने से कम से कम 15 दिन पहले प्राधिकरण के पास सूचना फाइल करेगा। उपर्युक्त विषय में परवर्ती प्रगति के संबंध में बीमाकर्ता प्राधिकरण को सूचित करता रहेगा।
- (8) इस अध्याय के अंतर्गत बीमाकर्ता द्वारा फाइल किये गये किन्हीं दस्तावेजों अथवा ईक्विटी शेयरों की प्रस्तावित सूचीबद्धता के संबंध में बीमाकर्ता और प्राधिकरण के बीच किसी भी पत्रादि को किसी भी प्रकार से तथ्यों, अभ्यावेदनों, अभिकथनों अथवा प्रस्ताव दस्तावेजों में लिखित किसी भी बात के संबंध में प्राधिकरण द्वारा वैधीकरण के रूप में नहीं समझा जाएगा या उस रूप में उनका उपयोग नहीं किया जाएगा। यह तथ्य प्रस्ताव दस्तावेज में मोटे अक्षरों में प्रकट किया जाएगा।
- (9) विनिर्दिष्ट की जानेवाली ऐसी अन्य शर्तें।

अध्याय VI: बीमा व्यवसाय का समामेलन और अंतरण

30. बीमाकर्ता के बीमा व्यवसाय का किसी अन्य बीमाकर्ता को अंतरण अथवा किसी अन्य बीमाकर्ता के बीमा व्यवसाय के साथ समामेलन इस अध्याय में विनिर्दिष्ट पद्धति में अधिनियम की धारा 35 के अधीन तैयार की गई और प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार करने को छोड़कर अन्य प्रकार से नहीं किया जाएगा।

बशर्ते कि यह अध्याय उन कंपनियों पर लागू नहीं होगा जो साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 के दायरे में आती हैं।

परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रति इस अध्याय की प्रयोज्यता जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अधीन होगी।

परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि यह विनियम अधिनियम की धारा 37ए के अधीन प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई योजना के मामले में लागू नहीं होगा।

31. प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जानेवाला आवेदन:

- (1) लेनदेन करनेवाले बीमाकर्ता समामेलन और अंतरण के स्वरूप के विवरण के साथ, उसके लिए कारणों सहित, उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए आवेदन करने के आशय की सूचना और विनिर्दिष्ट किये जानेवाले दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे।
- (2) लेनदेन करनेवाले बीमाकर्ता प्राधिकरण के पास आशय की सूचना फाइल करने के तत्काल बाद:
 - (क) समामेलन अथवा अंतरण, जैसी स्थिति हो, के स्वरूप और शर्तों का विवरण समाचार-पत्र (कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक और एक क्षेत्रीय भाषा का दैनिक, जिनकी प्रतियाँ प्राधिकरण के पास फाइल की जाएँगी) में प्रकाशित करवाएँगे।
 - (ख) प्रस्तावित योजना की प्रतियाँ पालिसीधारकों के द्वारा निरीक्षण के लिए लेनदेन करनेवाले बीमाकर्ताओं के पंजीकृत कार्यालय और मुख्य कारपोरेट कार्यालय में खुले तौर पर रखवाएँगे एवं साथ ही, इसे संबंधित बीमाकर्ताओं की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। ऐसे निरीक्षण और उपर्युक्त दस्तावेजों तक पहुँच को योजना का कार्यान्वयन समाप्त होने तक खुला रखा जाएगा।

(ग) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो भारत का निवासी है और जो प्रस्तावित लेनदेन में संबंधित किसी भी बीमाकर्ता की किसी बीमा पालिसी का धारक है, उनके डिजिटल माध्यमों के भी द्वारा, निर्देशित किये जानेवाले फार्म में उक्त आवेदन की फाइलिंग की सूचना भेजेंगे।

- (3) विनिर्दिष्ट किये जानेवाले फार्म में और विनिर्दिष्ट तरीके से प्राधिकरण के 'सिद्धांततः' अनुमोदन की अपेक्षा करते हुए आवेदन।

बशर्ते कि उक्त योजना को लागू करने के लिए 'सिद्धांततः' अनुमोदन की अपेक्षा करते हुए आवेदन इस विनियम के उप-विनियम (1) में उल्लिखित रूप में आशय की सूचना की फाइलिंग की तारीख से केवल 2 महीने के बाद ही फाइल किया जाएगा।

- (4) आवेदन की जाँच उपयुक्त समझे जानेवाले कारकों के आधार पर की जाएगी, जिनमें निम्नलिखित पर योजना का प्रभाव शामिल है, परंतु जो केवल यहीं तक सीमित नहीं है

(क) योजना के कार्यान्वयन के बाद विलयित संस्था का उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन।

(ख) अन्य प्रयोज्य विधियों और विनियमों का अनुपालन।

(ग) पालिसीधारकों के हित।

(घ) बीमा क्षेत्र में सुव्यवस्थित वृद्धि।

32. प्राधिकरण द्वारा सिद्धांततः अनुमोदनः

- (1) प्राधिकरण उपयुक्त समझे जानेवाले विषयों में संतुष्ट होने पर अपने द्वारा उपयुक्त समझी जानेवाली शर्तों के अधीन प्रस्तावित योजना के लिए सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान कर सकता है।
- (2) ऐसा सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान करते समय तथा लेनदेन करनेवाले बीमाकर्ताओं द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन व्यवस्था की योजना के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) का अनुमोदन प्राप्त करने से पहले की अवधि के दौरान, प्राधिकरण, यदि आवश्यक हो, तो (क) पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए; (ख) अपने द्वारा उपयुक्त समझी जानेवाली आवधिकताओं पर सूचना/रिपोर्टों की फाइलिंग के लिए शर्तों सहित लेनदेन करनेवाले बीमाकर्ताओं की आस्तियों का बलरोधन (रिंगफेन्सिंग) करने के लिए तथा (ग) उपयुक्त समझे जानेवाले कारणों से, अपने द्वारा आवश्यक और उपयुक्त समझे गये रूप में लेनदेन करनेवाले बीमाकर्ताओं पर अपेक्षाएँ लागू कर सकता है।
- (3) अंतरिम अवधि के दौरान, लेनदेन करनेवाले बीमाकर्ता सुनिश्चित करेंगे कि उक्त बीमा परिचालन बीमा अधिनियम, 1938, उसके अधीन बनाये गये विनियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये निदेशों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए संचालित किये गये हैं।
- (4) प्राधिकरण का 'सिद्धांततः' अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, लेनदेन करनेवाले बीमाकर्ता अपेक्षित होनेवाले अन्य अनुमोदनों की अपेक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाना प्रारंभ करेंगे जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं :

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अंतर्गत सभी अपेक्षाओं के अनुपालन के अनुसार व्यवस्था की योजना के स्वीकृति के लिए एनसीएलटी के पास व्यवस्था की योजना (प्राधिकरण के 'सिद्धांततः' अनुमोदन के साथ) फाइल करना।

(ख) आवश्यक अनुमोदनों, यदि कोई हों, की अपेक्षा करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के पास आवेदन फाइल करना।

(ग) उन मामलों में जहाँ कोई विदेशी संयुक्त उद्यम का भागीदार भी लेनदेन में संबद्ध है, संबंधित अधिकार-क्षेत्र के विनियमनकर्ता से अनुमोदन, यदि ऐसा अनुमोदन आवश्यक है; तथा

(घ) आवश्यक होनेवाले अन्य अनुमोदनों की अपेक्षा करना, जिनमें भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), शेयर बाजार(रों) और भारतीय प्रतियोगिता आयोग (सीसीआई) से अनुमोदन शामिल हैं।

33. प्राधिकरण द्वारा अंतिम अनुमोदन

- (1) इन विनियमों के अंतर्गत प्रत्येक योजना का कार्यान्वयन केवल प्राधिकरण का अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जाएगा।
- (2) इस अध्याय में पूर्वोक्त विनियमों में निर्दिष्ट विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद तथा विभिन्न प्रयोज्य विनियामक प्राधिकारियों और एनसीएलटी, जैसा लागू हो, से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत, लेनदेन करनेवाले बीमाकर्ता योजना के अंतिम अनुमोदन के लिए प्राधिकरण से संपर्क करेंगे।
- (3) प्राधिकरण उपयुक्त समझे जानेवाले विषयों में संतुष्ट होने पर योजना के लिए अपना अंतिम अनुमोदन प्रदान कर सकता है।

34. अंतिम अनुमोदन का प्रभाव

- (1) लेनदेन करनेवाले बीमाकर्ता सुनिश्चित करेंगे कि अंतिम रूप से यथाअनुमोदित योजना निम्नलिखित के लिए सुसंगत होगी:

- (क) बीमा अधिनियम, 1938 और उसके अधीन बनाये गये नियमों/विनियमों की अपेक्षाएँ
- (ख) अपना विनियामक अनुमोदन प्रदान करते समय प्राधिकरण और/या अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा लगाई गई शर्तें, अपेक्षाएँ अथवा निर्धारण।
- (2) योजना में परिकल्पित रूप में बीमा व्यवसाय का सम्मेलन और अंतरण ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जैसी कि योजना के लिए अंतिम अनुमोदन प्रदान करते समय विनिर्दिष्ट की गई होगी।
- (3) योजना अथवा उसके किन्हीं उपबंधों के परिचालित होने की तारीख को और उस तारीख से उक्त योजना या ऐसे उपबंध, लेनदेन करनेवाले बीमाकर्ताओं पर और लेनदेन करनेवाले प्रत्येक बीमाकर्ता के सभी शेयरधारकों, पालिसीधारकों और अन्य लेनदारों और कर्मचारियों पर, तथा लेनदेन करनेवाले किसी भी बीमाकर्ता के संबंध में कोई अधिकार या दायित्व रखनेवाले किसी भी अन्य व्यक्ति पर भी बाध्यकारी होंगे।
- (4) योजना के परिचालन में आने की तारीख को और उस तारीख से अंतरणकर्ता बीमाकर्ता की संपत्तियाँ और आस्तियाँ योजना के कारण और योजना में व्यवस्थित सीमा तक अंतरिती बीमाकर्ता को अंतरित होंगी और उसमें निहित होंगी, तथा अंतरणकर्ता बीमाकर्ता की देयताएँ योजना के कारण और योजना में व्यवस्थित सीमा तक अंतरिती बीमाकर्ता को अंतरित होंगी और उसकी देयताएँ बनेंगी।
- (5) उक्त प्रक्रिया की समाप्ति के बारे में समाचार-पत्र में सूचना का प्रकाशन (कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक और एक क्षेत्रीय भाषा के दैनिक में, जिसकी प्रतियाँ प्राधिकरण के पास फाइल की जाएँगी)।
- (6) अंतरिती बीमाकर्ता योजना के कार्यान्वयन के बाद विनिर्दिष्ट किये जानेवाले समय के अंदर विनिर्दिष्ट किये जानेवाले दस्तावेज और सूचना प्रस्तुत करेगा।

35. प्राधिकरण की शक्तियाँ :

- (1) प्राधिकरण अपने द्वारा अनुमोदित की जा रही योजना में संबद्ध उपायों के संबंध में प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, उसके विनियामक उद्देश्यों, पालिसीधारकों के हितों और बीमा क्षेत्र की क्रमबद्ध वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अपने द्वारा उपयुक्त समझे जानेवाले निदेश जारी कर सकता है।
- (2) यदि योजना के उपबंधों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो प्राधिकरण उक्त कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन से आदेश के द्वारा आवश्यक अथवा व्यावहारिक प्रतीत होनेवाले निदेश जारी कर सकता है।
- (3) जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में, यदि व्यवस्था के संबंध में सम्मेलन में संबंधित अंतरणकर्ता बीमाकर्ता(ओं) की बीमा और अन्य संविदाओं की राशि में कमी करना संबद्ध है, तो प्राधिकरण उचित समझी जानेवाली ऐसी शर्तों पर और ऐसे निबंधनों के अधीन ऐसी संविदाओं की राशि कम करने की व्यवस्था का अनुमोदन कर सकता है, तथा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित रूप में संविदाओं की कमी विधिमान्य और संबंधित सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होगी।
- (4) प्राधिकरण प्रस्तावित योजना के लिए अंतिम अनुमोदन प्रदान करने से पहले किसी भी समय लेनदेन करनेवाले बीमाकर्ताओं के बीमा व्यवसाय (आस्तियों, देयताओं और शोधन-क्षमता को सम्मिलित करते हुए) का एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन करवा सकता है।
- (5) प्राधिकरण योजना को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक होने के तौर पर अनुवर्ती आदेश भी पारित कर सकता है।

36. आवेदन के प्रसंस्करण के लिए वापस न करने योग्य शुल्क का भुगतान

- (1) लेनदेन करने वाले बीमाकर्ताओं के द्वारा 'सिद्धांततः' अनुमोदन के लिए आवेदन के प्रसंस्करण हेतु वापस न करने योग्य शुल्क प्राधिकरण को विप्रेषित किया जाएगा।
- (2) उक्त शुल्क प्राधिकरण के पास 'सिद्धांततः' अनुमोदन के लिए आवेदन फाइल करने के वर्ष से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान लेनदेन करनेवाले बीमाकर्ताओं में से प्रत्येक बीमाकर्ता के द्वारा भारत में प्रत्यक्ष रूप से अंकित कुल सकल प्रीमियम के एक प्रतिशत का दसवाँ भाग होगा।
- (3) लेनदेन करनेवाले प्रत्येक बीमाकर्ता के लिए, उक्त शुल्क पचास लाख रुपये के न्यूनतम के अधीन होगा, परंतु पाँच करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा।

अध्याय VII: अधिनियम की धारा 37ए के अधीन समामेलन की स्थिति में शेयरधारकों या सदस्यों को क्षतिपूर्ति के निर्धारण का तरीका

37. प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिनांक से तत्काल पहले मूल बीमाकर्ता के शेयरधारक या सदस्य के रूप में पंजीकृत है तथा अंतरिती बीमाकर्ता में निहित जिसके हित या अंतरिती बीमाकर्ता के विरुद्ध जिसके अधिकार मूल बीमाकर्ता में निहित जिसके हित या मूल बीमाकर्ता में निहित जिसके अधिकारों से कम हैं, इन विनियमों के अनुसार क्षतिपूर्ति के लिए पात्र है;

बशर्ते कि पात्र शेयरधारकों या सदस्यों के संबंध में ऐसी क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए केवल तभी विचार किया जाएगा जहाँ आस्तियों का अवशिष्ट मूल्य सकारात्मक है।

38. इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार निर्धारित क्षतिपूर्ति का भुगतान नकद या वस्तु रूप में अथवा अंशतः नकद और अंशतः वस्तु रूप में किया जाएगा।
39. प्राधिकरण मूल बीमाकर्ता के उन शेयरधारकों या सदस्यों को देय क्षतिपूर्ति का निर्धारण विनियम 40 के अनुसार गणना किये गये आस्तियों के अवशिष्ट मूल्य के आधार पर करेगा, अंतरिती बीमाकर्ता में जिनके हित अथवा अंतरिती बीमाकर्ता के विरुद्ध जिनके अधिकार मूल बीमाकर्ता में उनके हित अथवा मूल बीमाकर्ता के विरुद्ध उनके अधिकारों से कम हैं।

40. शेयरधारकों या सदस्यों को क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए कार्यपद्धति:

- (1) अवशिष्ट मूल्य का प्रभाजन निम्नलिखित अधिमान-क्रम में किया जाएगा:

- (क) गौण कर्ज "अन्य प्रकार की पूँजी" शीर्ष के अंतर्गत;
- (ख) अधिमानी शेयर पूँजी "अन्य प्रकार की पूँजी" शीर्ष के अंतर्गत;
- (ग) मूल बीमाकर्ता के शेयरधारक या सदस्य।

स्पष्टीकरण:

- (i) अधिमान का क्रम केवल वहाँ लागू होगा जहाँ खंड (क) और (ख) के अंतर्गत देयताओं का अधिग्रहण अंतरिती बीमाकर्ता के द्वारा नहीं किया गया हो;
- (ii) आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त खंड (क) और (ख) की स्थिति में किसी वर्ग के प्राप्तकर्ताओं के संबंध में उस वर्ग में समान रूप से आगम राशि के वितरण के प्रत्येक स्तर पर उक्त प्रत्येक वर्ग को भुगतान या तो पूर्णतः किया जाएगा या उसी वर्ग के प्राप्तकर्ताओं के अंदर समान अनुपात में किया जाएगा, यदि आगम राशि दायित्वों को पूरा करने में अपर्याप्त हो।
- (2) इस विनियम के उप-विनियम (1) के अनुसार प्राप्त शेष अवशिष्ट मूल्य का वितरण प्रत्येक पात्र शेयरधारक या सदस्य को ऐसे अनुपात में किया जाएगा जैसा कि ऐसे शेयरधारक या सदस्य द्वारा धारित शेयरों की प्रदत्त पूँजी की राशि मूल बीमाकर्ता की कुल प्रदत्त पूँजी को वहन करती है।
- (3) प्राधिकरण द्वारा आस्तियों के अवशिष्ट मूल्य की संगणना के प्रयोजन के लिए, "आस्तियाँ" निम्नलिखित का कुल जोड़ होंगी:-
 - (क) नियत दिनांक से तत्काल पहले हाथ में नकदी की राशि और किसी भी बैंक के पास शेष राशियों की राशि, चाहे जमा के रूप में हो या चालू खाते के रूप में, तथा माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि, विनिमय की बाजार दर पर परिवर्तित की जा रही भारत के बाहर धारित शेष राशि हो;
 - (ख) संबंधित मूल बीमाकर्ता द्वारा धारित किन्हीं प्रतिभूतियों, शेयरों, डिबेंचरों, बांडों और अन्य निवेशों का नियत दिनांक के तत्काल पहले विद्यमान बाजार मूल्य;

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजन के लिए,-

- (i) जहाँ किसी प्रतिभूति, शेयर, डिबेंचर, बांड या अन्य निवेश का बाजार मूल्य असाधारण कारकों द्वारा प्रभावित होने के कारण उचित नहीं माना जाता, वहाँ ऐसे निवेश का मूल्यांकन किसी युक्तिसंगत अवधि के दौरान उसके बाजार मूल्य के आधार पर किया जाए;
 - (ii) जहाँ किसी प्रतिभूति, शेयर, डिबेंचर, बांड या अन्य निवेश के बाजार मूल्य का पता नहीं लगाया जा सकता, वहाँ केवल ऐसे ही मूल्य को हिसाब में लिया जाएगा जो जारीकर्ता संस्था की वित्तीय स्थिति, पिछले पाँच वर्षों के दौरान उसके द्वारा अदा किये गये लाभांश और अन्य संगत कारकों का ध्यान रखते हुए उचित समझा जाएगा।
 - (ग) अग्रिमों (ऋणों सहित), अन्य कर्जों, चाहे वे जमानती हों या गैर-जमानती, की राशि जहाँ तक वे उचित रूप से वसूलीयोग्य माने जाते हैं;
 - (घ) किसी भूमि और भवनों का मूल्य;
 - (ङ) सभी पट्टाधृत संपत्तियों के संबंध में भुगतान किये गये प्रीमियमों की कुल राशि, ऐसे प्रत्येक प्रीमियम के मामले में से ऐसी राशि घटाकर जो पट्टे की समाप्त अवधि की ही तरह ऐसे प्रीमियम के संबंध में उसी अनुपात का भार वहन करती है जिसके संबंध में ऐसा प्रीमियम अदा किया गया होगा, जो पट्टे की कुल अवधि के लिए वहन करता है;
 - (च) समस्त फर्नीचर, जुड़नारों और फिटिंगों का बहियों के अनुसार अंकित मूल्य अथवा उपयुक्त समझे गये रूप में प्राप्य मूल्य;
 - (छ) मूल बीमाकर्ता की बहियों में प्रकट होनेवाली अन्य आस्तियों का बाजार या प्राप्य मूल्य, जैसा उपयुक्त हो।
- (4) प्राधिकरण द्वारा आस्तियों के अवशिष्ट मूल्य की संगणना के प्रयोजन के लिए, “देयताएँ” निम्नलिखित का कुल मूल्य होंगी
- (क) नियत दिनांक को यथाविद्यमान सभी देयताएँ, और
 - (ख) सभी आकस्मिक देयताएँ जिनका उन्मोचन अंतरिती बीमाकर्ता द्वारा समामेलन की योजना के अंतर्गत नियत दिनांक को या उसके बाद करना उचित रूप से प्रत्याशित है;
- बशर्ते कि** (i) जीवन बीमाकर्ता के मामले में पालिसीधारकों की देयताएँ; और (ii) साधारण बीमाकर्ता के मामले में आईबीएनआर और आईबीएनईआर देयताएँ एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा निर्धारित मूल्यांकन के आधार पर ली जाएँगी।

अध्याय VIII: अन्य प्रकार की पूँजी

41. बीमाकर्ता इस अध्याय में विनिर्दिष्ट तरीके से ‘अन्य प्रकार की पूँजी’ के निर्गम द्वारा निधियाँ जुटा सकता है।
42. “अन्य प्रकार की पूँजी” के लिए अर्हता: अधिमानी शेयर पूँजी या गौण कर्ज “अन्य प्रकार की पूँजी” के रूप में अर्हता-प्राप्त होंगे बशर्ते कि निम्नलिखित सभी मानदंड पूरे किये जाएँ:
- (1) लिखत अनिवार्यतः नकदी में जारी किये जाएँगे तथा पूर्णतः प्रदत्त होंगे;
 - (2) दावों की वरिष्ठता क्रमशः निम्नलिखित क्रम से नियंत्रित की जाएगी:
 - (क) पालिसीधारकों के दावे;
 - (ख) लेनदेरों के दावे;
 - (ग) गौण ऋण धारकों के दावे;
 - (घ) अधिमानी शेयरधारकों के दावे;
 - (ङ) ईक्विटी शेयरधारकों के दावे।
 - (3) उक्त लिखत न तो बीमाकर्ता की गारंटी द्वारा और न ही अन्य व्यवस्थाओं के द्वारा रक्षित या कवर किये जाएँगे जो विधिक तौर पर दावों की वरिष्ठता को बढ़ाती हैं, जैसा कि इस अध्याय में विनिर्दिष्ट किया गया है।

- (4) इस अध्याय के अंतर्गत बीमाकर्ता द्वारा जारी किये गये लिखतों की परिपक्वता अवधि निम्नानुसार निर्दिष्ट से कम नहीं होगी:

लिखत	जीवन बीमाकर्ता, साधारण बीमाकर्ता या पुनर्बीमाकर्ता	स्वास्थ्य बीमाकर्ता
अधिमानी शेयर पूँजी	दस वर्ष	सात वर्ष
गौण कर्ज	दस वर्ष	सात वर्ष

43. “अन्य प्रकार की पूँजी” के निर्गम के लिए शर्तें: “अन्य प्रकार की पूँजी” का निर्गम निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

- (1) सभी लिखत अपरिवर्तनीय, पूर्णतः प्रदत्त और अरक्षित होंगे;
- (2) विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआईएस) या विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआईएस) सहित विदेशी निवेशकों के द्वारा ऐसे लिखतों में निवेश निम्नलिखित के अधीन होगा:
 - (क) एफआईआईएस और एफपीआईएस सहित सभी विदेशी निवेशकों के द्वारा समग्र निवेश फेमा अधिनियम, 1999, उसके अधीन जारी किये गये विनियमों अथवा अन्य किन्हीं निर्धारणों में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक नहीं होगा;
 - (ख) एफआईआईएस और एफपीआईएस सहित विदेशी निवेशकों को अधिमानी शेयरों और गौण कर्ज का निर्गम प्रयोज्य रूप में कीमत-निर्धारण संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए होगा;
 - (ग) उपर्युक्त लिखतों के निर्गम के संबंध में सेबी / अन्य विनियामक प्राधिकरणों के द्वारा निर्धारित शर्तों और निबंधनों, यदि कोई हों, का अनुपालन किया जाएगा;
 - (घ) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी किये गये सभी निदेशों, अधिसूचना, आदेश आदि का अनुपालन;
 - (ङ) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये निदेशों/अनुदेशों का अनुपालन;
 - (च) बीमाकर्ताओं को अपने गौण कर्ज केवल भारतीय शेयर बाजारों में ही सूचीबद्ध करने की अनुमति दी जाएगी;
 - (छ) बीमाकर्ता इस अध्याय के अधीन ‘विक्रय विकल्प’ (पुट ऑप्शन) के साथ कोई लिखत जारी नहीं करेंगे;
 - (ज) विनिर्दिष्ट की जानेवाली कोई अन्य शर्तें।
- (3) लिखतों के समयपूर्व मोचन के लिए अधिमानी शेयरधारकों और गौण कर्ज के धारकों को बीमाकर्ता द्वारा कोई प्रोत्साहन देय नहीं होगा।
- (4) अधिमानी शेयरधारकों को देय लाभांश की दर या गौण कर्ज धारकों को देय ब्याज की दर या तो एक नियत दर होगी या अस्थिर दर होगी। ऐसी दर बाजार निर्धारित रुपया ब्याज बेंचमार्क दर के संदर्भ में होगी।
- (5) गौण कर्ज पर ब्याज लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया जाएगा तथा अधिमानी शेयरों पर लाभांश शेयरधारकों के वितरणयोग्य लाभ में से अदा किया जाएगा।
- (6) बीमाकर्ता का शोधन-क्षमता मार्जिन शोधन-क्षमता के नियंत्रण-स्तर से ऊपर होगा।
- (7) अधिमानी शेयरों पर लाभांश के वितरण का निरस्तीकरण होने की स्थिति में अथवा गौण कर्ज की सर्विस देने में विफलता पर बीमाकर्ता पर ईक्विटी शेयरधारकों को लाभांश के वितरण को छोड़कर कोई अन्य प्रतिबंध लागू नहीं किया जाएगा।
- (8) बीमाकर्ता सभी विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा जिनमें लागू होनेवाली कंपनी विधियाँ और सभी अन्य शर्तें शामिल हैं, परंतु जो इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
- (9) निर्धारित की जानेवाली अन्य शर्तें।

44. पूर्व-अनुमोदन: बीमाकर्ता के लिए किसी भी वित्तीय वर्ष में अधिमानी शेयरों के लिए लाभांश के अथवा किसी गौण कर्ज पर ब्याज के उपचय या भुगतान के लिए सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा यदि:

- (1) शोधन-क्षमता मार्जिन शोधन-क्षमता के नियंत्रण-स्तर से कम है; या
 - (2) ऐसे उपचय या भुगतान का प्रभाव प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट विनियामक अपेक्षा से शोधन-क्षमता के नीचे आने या नीचे बने रहने में परिणत होगा; या
 - (3) ब्याज के उपचय या भुगतान का प्रभाव निवल हानि अथवा निवल हानि में वृद्धि के रूप में परिणत होता है।
- 45. रिपोर्टिंग की अपेक्षाएँ:** इन विनियमों के अधीन लिखत जारी करनेवाला बीमाकर्ता आबंटन की तारीख से 15 दिन के अंदर विनिर्दिष्ट किये जानेवाले विवरण सहित, इन लिखतों के निर्गम के द्वारा जुटाई गई निधियों का व्योरा प्रस्तुत करेगा।
- 46. तुलन-पत्र में वर्गीकरण:** बीमाकर्ता द्वारा तैयार किये जानेवाले तुलन-पत्र में इन विनियमों के अंतर्गत बीमाकर्ता द्वारा जारी किये गये लिखतों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाएगा:-
- (1) अधिमानी शेयर पूँजी के मामले में, संबंधित अनुसूची में शीर्ष "शेयर पूँजी" के अंतर्गत;
 - (2) गौण कर्ज के मामले में, संबंधित अनुसूची में शीर्ष "उधार राशियाँ" के अंतर्गत;
 - (3) यदि कोई लिखत प्रीमियम पर जारी किया गया है, तो प्राप्त प्रीमियम संबंधित अनुसूची में "प्रतिभूति प्रीमियम" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाएगा।
- 47. प्रकटीकरण:** बीमाकर्ता इन विनियमों के अंतर्गत लिखतों के निर्गम के माध्यम से जुटाई गई राशि का प्रकटीकरण तैयार किये गये वार्षिक विवरणों का भाग बननेवाली लेखों की टिप्पणियों में निर्गम की शर्तों तथा परिपक्वता / मोचन अवधि के सारांश के साथ करेगा।
- 48. लिखतों का प्रति-आह्वान (काल बैक)**
- (1) 'क्रय विकल्प' (काल आप्शन) के साथ लिखत का निर्गम: बीमाकर्ता इन विनियमों के अंतर्गत कोई लिखत इस शर्त के अधीन जारी कर सकता है कि निर्गम की तारीख से कम से कम पाँच पूर्ण वर्षों की अवधि के लिए लिखत के चालू रहने के बाद काल आप्शन का प्रयोग किया जा सकता है।
 - (2) काल आप्शन का प्रयोग: बीमाकर्ता काल आप्शन का प्रयोग सक्षम प्राधिकारी का पूर्व-अनुमोदन प्राप्त किये बिना कर सकता है।
बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी का ऐसा पूर्व-अनुमोदन अपेक्षित होगा, यदि ऐसे काल आप्शन का प्रयोग करने के बाद बीमाकर्ता की शोधन-क्षमता की स्थिति शोधन-क्षमता मार्जिन के नियंत्रण स्तर से कम से कम बीस प्रतिशत अधिक नहीं है (उदा. $1.50 + 1.50$ का $20\% = 1.8$)।
 - (3) काल आप्शन का प्रयोग करने के लिए बीमाकर्ता से उपर्युक्त परंतुक (2) पर दिये गये रूप में प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते समय सक्षम प्राधिकारी अन्य बातों के बीच, काल आप्शन का प्रयोग करने के समय और काल आप्शन का प्रयोग करने के बाद दोनों अवसरों पर बीमाकर्ता की शोधन-क्षमता स्थिति और भावी व्यवसाय योजनाओं को ध्यान में रखेगा।
 - (4) बीमाकर्ता काल आप्शन का प्रयोग करने के संबंध में प्राधिकरण को उक्त विकल्प का प्रयोग करने की सूचना की तारीख से 15 दिन के अंदर सूचित करेंगे।
- 49.** इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए, इसके द्वारा यह निश्चित रूप से स्पष्ट किया जाता है कि बीमाकर्ता के द्वारा ब्याज का भुगतान न करने और गौण कर्ज की मोचन राशि का भुगतान न करने पर इसे चूक करने की स्थिति के रूप में नहीं समझा जाएगा तथा यह चूक की सूचना की स्थिति में शामिल करने के लिए अर्हता-प्राप्त नहीं होगा।
- 50. लिखतों के अभिदाता:** ऐसे लिखतों के निर्गम में विनिर्दिष्ट किये जानेवाले किसी भी व्यक्ति के द्वारा सभी अन्य प्रयोज्य विधियों के अनुपालन के अधीन अभिदान किया जा सकता है।
- 51. बीमाकर्ता द्वारा किसी अन्य बीमाकर्ता की "अन्य प्रकार की पूँजी" में निवेश:** बीमाकर्ता किसी अन्य बीमाकर्ता द्वारा जारी की गई "अन्य प्रकार की पूँजी" में निम्नलिखित के अधीन निवेश कर सकता है:
- (1) ऐसे निवेश केवल "अन्य निवेश" के अंतर्गत ही वर्गीकृत किये जाएँगे;
 - (2) ऐसे निवेश लागू विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट एक्सपोज़र मानदंडों के अधीन होंगे।
 - (3) ऐसे निवेश शोधन-क्षमता मार्जिन के नियंत्रण स्तर का निर्धारण करने के लिए स्वीकार्य आस्ति के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करेंगे;

बशर्ते कि बीमाकर्ताओं के अन्य प्रकार के पूँजी लिखतों में वर्तमान निवेश उपलब्ध शोधन-क्षमता के परिकलन के लिए लगातार तब तक स्वीकार किये जाएँगे जब तक ऐसे निवेशों का अंतरण / मोचन नहीं किया जाता।

(4) एक सामान्य प्रवर्तक के होते हुए बीमाकर्ता किसी अन्य बीमाकर्ता की अन्य प्रकार की पूँजी में निवेश नहीं करेगा।

52. लिखतों की जमानत पर ऋण प्रदान करना: बीमाकर्ता अपने द्वारा जारी किये गये लिखतों की जमानत पर कोई भी ऋण प्रदान नहीं करेंगे।

53. अन्य प्रकार की पूँजी के लिए सीमा: अन्य प्रकार की पूँजी के अंतर्गत एकसाथ लेते हुए लिखतों की कुल मात्रा किसी भी समय निम्नलिखित से कम होगी:

- (1) बीमाकर्ता की कुल प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी और प्रतिभूति प्रीमियम का पचास प्रतिशत;
- (2) बीमाकर्ता की निवल मालियत (नेट वर्थ) का पचास प्रतिशत।

54. शोधन-क्षमता की संगणना के प्रयोजन के लिए लिखतों का परिशोधन

- (1) यहाँ नीचे उप-विनियम (2) में यथाविनिर्दिष्ट मार्जिन (हेयर कट) को घटाकर “अन्य प्रकार की पूँजी” के रूप में जारी किये गये लिखत बीमाकर्ता के “उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन” के लिए गिने जाएँगे।
- (2) उक्त लिखत परिपक्वता से पूर्व अंतिम पाँच वर्षों में सीधी रेखा के आधार पर “उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन” की संगणना के प्रयोजन के लिए प्रगामी हेयर कट के अधीन किये जाएँगे। तदनुसार, इस अध्याय के अधीन जारी किये गये लिखत जैसे ही परिपक्वता तक पहुँचेंगे, बकाया शेष राशियाँ नीचे सारणी “क” में निर्दिष्ट रूप में पूँजी में शामिल किये जाने के लिए गिनी जाएँगी:

सारणी “क”

परिपक्वता के लिए शेष वर्ष	उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन में सम्मिलित पूँजी का %
5 वर्ष या उससे अधिक	100%
4 वर्ष और 5 वर्ष से कम	80%
3 वर्ष और 4 वर्ष से कम	60%
2 वर्ष और 3 वर्ष से कम	40%
1 वर्ष और 2 वर्ष से कम	20%
1 वर्ष से कम	0%

वस्तुतः केवल उपर्युक्त समायोजन करने के बाद प्राप्त राशि ही “उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन” में सम्मिलित करने के लिए पात्र होगी।

इसके अलावा, ऐसे हेयर कट का निर्धारण “परिपक्वता के लिए शेष वर्ष” के आधार पर प्रत्येक वित्तीय तिमाही के अंत में लागू किया जाएगा।

55. बीमाकर्ता के बोर्ड का दायित्व

- (1) अधिमानी शेयरों के निर्गम के लिए, ऐसे अधिमानी शेयरों के निर्गम को प्राधिकृत करते हुए बीमाकर्ता के बोर्ड द्वारा एक संकल्प और बीमाकर्ता के शेयरधारकों की आम सभा में एक विशेष संकल्प पारित किया जाएगा;
- (2) किसी गौण कर्ज के निर्गम के लिए, ऐसे गौण कर्ज को प्राधिकृत करते हुए बीमाकर्ता के निदेशक बोर्ड द्वारा एक संकल्प पारित किया जाएगा;
- (3) बीमाकर्ता का निदेशक बोर्ड सुनिश्चित करेगा कि बीमाकर्ता के लिए अपनी पूँजी और/या शोधन-क्षमता की आवश्यकता पूरी करने हेतु उसके द्वारा अन्य प्रकार की पूँजी का निर्गम युक्तियुक्त है;
- (4) बीमाकर्ता जिसने अन्य प्रकार की पूँजी जुटाई है, का निदेशक बोर्ड निम्नलिखित को सुनिश्चित करेगा:
 - (क) हर समय इन विनियमों का अनुपालन;

(ख) गौण कर्ज के लिए व्याज / कूपन दर अथवा अधिमानी शेयरों के लिए लाभांश दर का औचित्य।

अध्याय IX: विविध

56. वार्षिक शुल्क

- (1) बीमाकर्ता जिसे अधिनियम की धारा 3 के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है, प्राधिकरण को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लागू करों के साथ एक वार्षिक शुल्क का भुगतान पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 31 जनवरी से पहले करेगा।
- (2) उक्त वार्षिक शुल्क निम्नलिखित से अधिक होगा:
 - (क) दस लाख रुपये, या
 - (ख) जिस वर्ष में वार्षिक शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित है, उसके पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में बीमाकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अंकित कुल सकल प्रीमियम के एक प्रतिशत का बीसवाँ भाग अथवा पन्द्रह करोड़ रुपये, जो भी कम हो;

बशर्ते कि एकमात्र तौर पर पुनर्बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता के मामले में, भारत में प्रत्यक्ष रूप से अंकित कुल सकल प्रीमियम के बदले, भारत में उसके द्वारा स्वीकृत विकल्पी (फैकल्टेटिव) पुनर्बीमा के संबंध में कुल प्रीमियम हिसाब में लिया जाएगा।
- (3) उक्त वार्षिक शुल्क भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के खाते में अदा किया जाएगा। उक्त वार्षिक शुल्क इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण की किसी भी मान्यताप्राप्त पद्धति के माध्यम से विप्रेषित किया जाएगा।
- (4) यदि बीमाकर्ता उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट तारीख से पहले उक्त वार्षिक शुल्क जमा नहीं करता, तो सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित प्रकार से अर्थदंड के रूप में एक अतिरिक्त शुल्क के साथ वार्षिक शुल्क का भुगतान स्वीकार कर सकता है:
 - (क) वार्षिक शुल्क का दो प्रतिशत, यदि उक्त शुल्क वार्षिक शुल्क के भुगतान की अंतिम तारीख की समाप्ति के बाद 30 दिन के अंदर अदा किया जाता है; अथवा
 - (ख) वार्षिक शुल्क का दस प्रतिशत, यदि उक्त शुल्क इस विनियम में निर्धारित भुगतान की अंतिम तारीख की समाप्ति के बाद, परंतु उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले जिसमें वार्षिक शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित है, अदा किया जाता है।
- (5) यदि बीमाकर्ता ने उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले जिसमें वह अदा करने के लिए नियत है, उक्त शुल्क का भुगतान नहीं किया है, तो पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया जा सकता है।

57. प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डूप्लिकेट) का निर्गम: सक्षम प्राधिकारी लागू करों के साथ पाँच हजार रुपये का शुल्क प्राप्त करने पर बीमाकर्ता को प्रमाणपत्र की एक अनुलिपि (डूप्लिकेट) जारी कर सकता है, यदि बीमाकर्ता विनिर्दिष्ट रूप में फार्म आईआरडीएआई/ आर4 में प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करता है।

58. पंजीकरण प्रमाणपत्र का निलंबन या निरसन

- (1) बीमाकर्ता द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र के स्वैच्छिक अभ्यर्णन के अनुसरण में पंजीकरण का निरसन:
 - (क) बीमाकर्ता उसे प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र अभ्यर्णित कर सकता है और विनिर्दिष्ट करनेवाली स्थितियों में उसे निरस्त करने के लिए प्राधिकरण से अनुरोध कर सकता है।
 - (ख) प्राधिकरण उक्त अनुरोध की जाँच करने के बाद, बीमाकर्ता के पालीसीधारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए आवश्यक होनेवाली शर्तों के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर सकता है।
- (2) पंजीकरण प्रमाणपत्र का निलंबन या निरसन: अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत लगाये जानेवाले किसी दंड अथवा की जानेवाली किसी कार्रवाई पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों के अंतर्गत एक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली अवधि के लिए बीमा व्यवसाय की एक श्रेणी या उससे अधिक श्रेणियों के लिए द्वारा किसी बीमाकर्ता का पंजीकरण निलंबित अथवा निरस्त किया जा सकता है:

- (क) बीमाकर्ता किसी भी समय सामान्य रूप से अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का तथा विशेष रूप से अधिनियम की धारा 64वीं और धारा 64बीए के उपबंध का अनुपालन नहीं करता।
- (ख) बीमाकर्ता परिसमापन में है अथवा एक दिवालिये के रूप में निर्णीत है।
- (ग) प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना बीमाकर्ता के व्यवसाय या व्यवसाय की किसी श्रेणी का अंतरण किसी व्यक्ति को किया गया है अथवा किसी अन्य बीमाकर्ता के व्यवसाय के साथ समामेलन किया गया है।
- (घ) अधिनियम या किसी नियम या किसी विनियम या निदेश या आदेश की किसी अपेक्षा का अनुपालन करने में चूक, अथवा उसका उल्लंघन करते हुए कार्य, विशेष रूप से यदि बीमाकर्ता:
- (i) पालिसीधारकों के हितों के लिए प्रतिकूल तरीके से अपने व्यवसाय का संचालन करता है;
 - (ii) अपने बीमा व्यवसाय के संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित रूप में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं करता;
 - (iii) अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित रूप में अथवा प्राधिकरण द्वारा निदेश दिये गये रूप में आवधिक विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं करता;
 - (iv) प्राधिकरण द्वारा संचालित किसी जाँच में सहयोग नहीं करता;
 - (v) छलयोजित प्रथाओं में लिप्त है;
 - (vi) अनुचित व्यापार पद्धतियों में लिप्त है;
 - (vii) विनियमों में विनिर्दिष्ट रूप में बुनियादी संरचना अथवा सामाजिक क्षेत्र में निवेश नहीं करता।
- (ङ) यह विश्वास करने के लिए प्राधिकरण के पास कारण हैं कि बीमे की किसी पालिसी के अंतर्गत भारत में बीमाकर्ता पर उत्पन्न होनेवाला कोई दावा नियमित न्यायालय में अंतिम निर्णय के बाद तीन महीने के लिए अदत्त रहा है,
- (च) बीमा व्यवसाय की जिस श्रेणी के लिए या जिस किसी विनिर्दिष्ट व्यवसाय के लिए प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रदान किया गया है, उसे छोड़कर बीमाकर्ता कोई अन्य व्यवसाय संचालित करता है,
- (छ) बीमाकर्ता बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधीन प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये किसी निदेश या किये गये किसी आदेश, जैसी स्थिति हो, का अनुपालन करने में चूक करता है,
- (ज) बीमाकर्ता कंपनी अधिनियम, 2013 या साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 या विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 या धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 या उनके अधीन बनाये गये नियमों और/या विनियमों की किसी भी अपेक्षा का अनुपालन करने में चूक करता है अथवा ऐसी किसी अपेक्षा का उल्लंघन करते हुए कार्य करता है,
- (झ) बीमाकर्ता अधिनियम की धारा 3ए के अंतर्गत अपेक्षित वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं करता, अथवा
- (ञ) बीमाकर्ता या बीमाकर्ता का प्रवर्तक **अनुसूची 1** के अनुसार विनिर्दिष्ट 'योग्य और उपयुक्त' (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंड का अनुपालन नहीं कर रहा है; अथवा
- (ट) बीमाकर्ता फिलहाल प्रचलित किसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है:
- बशर्ते कि प्राधिकरण लिखित में दर्ज किये जानेवाले कारणों से, ऊपर उल्लिखित प्रकार की चूकें बार-बार करने की स्थिति में पंजीकरण प्रमाणपत्र के निरसन का दंड लगा सकता है।**

(3) पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन के लिए प्रक्रिया

- (क) उप-विनियम (2) के अधीन पंजीकरण के निलंबन का कोई भी आदेश बीमाकर्ता को अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का एक अवसर दिये बिना लागू नहीं किया जाएगा।
- (ख) प्राधिकरण बीमाकर्ता से स्पष्टीकरण माँगते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि बीमाकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। उक्त कारण बताओ नोटिस में वे आरोप या कारण शामिल किये जाएँगे जिनके लिए कार्रवाई करने का प्रस्ताव किया जा रहा है।
- (ग) प्राधिकरण बीमाकर्ता को उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर देने के लिए इक्कीस दिन की समयावधि की अनुमति देगा:

बशर्ते कि उन स्थितियों में जहाँ पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए तत्काल कार्रवाई करना उपयुक्त समझा जाएगा, वहाँ बीमाकर्ता से कहा जा सकता है कि वह ऐसी अवधि के अंदर अपना उत्तर प्रस्तुत करे जैसा कि प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त समझा जाएगा।

(घ) प्राधिकरण उक्त कारण बताओ नोटिस के लिए उत्तर पर विचार करने के बाद, यथाशीघ्र परंतु उक्त उत्तर की प्राप्ति से तीस दिन से अनधिक अवधि में ऐसे आदेश पारित करेगा जैसा कि वह उपयुक्त समझेगा। यदि बीमाकर्ता द्वारा प्राधिकरण को कारण बताओ नोटिस के अनुसार निर्दिष्ट समयावधि के अंदर कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो प्राधिकरण एकपक्षीय आधार पर इस विषय में निर्णय करने के लिए आगे बढ़ सकता है।

(ङ) प्राधिकरण द्वारा पारित किये गये आदेश में उस आदेश के द्वारा लगाये गये दंड के औचित्य सहित इसके लिए कारण दिये जाएँगे।

(च) प्राधिकरण आदेश पारित करने से सात दिन के अंदर बीमाकर्ता को दिये गये आदेश की एक प्रति भेजेगा।

(4) पंजीकरण प्रमाणपत्र के निरसन के लिए प्रक्रिया

(क) उप-विनियम (2) के अधीन पंजीकरण के निरसन का कोई भी आदेश इन विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार जाँच आयोजित करने के बाद की स्थिति को छोड़कर नहीं दिया जाएगा।

(ख) इस विनियम के अधीन जाँच आयोजित करने के प्रयोजन के लिए, प्राधिकरण एक जाँच अधिकारी को नियुक्त कर सकता है।

(ग) जाँच अधिकारी बीमाकर्ता को बीमाकर्ता के पंजीकृत कार्यालय अथवा व्यवसाय के प्रधान कार्यालय के पते पर एक नोटिस जारी करेगा।

(घ) बीमाकर्ता ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से इक्कीस दिन के अंदर जाँच अधिकारी को एक उत्तर, अपने आधारभूत दस्तावेजी अथवा अन्य प्रकार के साक्ष्य की प्रतियों के साथ अथवा बीमाकर्ता से प्राधिकरण द्वारा माँगे गये साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करेगा।

(ङ) जाँच अधिकारी बीमाकर्ता को अपनी बात कहने के लिए एक उचित अवसर देगा ताकि वह अपने उत्तर के समर्थन में प्रस्तुतीकरण कर सके।

(च) यदि आवश्यक समझा जाता है, तो जाँच अधिकारी प्राधिकरण से कह सकता है कि उसका मामला प्रस्तुत करने के लिए एक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को नियुक्त करे।

(छ) बीमाकर्ता जाँच अधिकारी के समक्ष या तो स्वयं या बीमाकर्ता द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किसी व्यक्ति के माध्यम से उपस्थित हो सकता है;

बशर्ते कि बीमाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी अधिवक्ता को अनुमति नहीं दी जाएगी।

परंतु यह भी शर्त होगी कि जहाँ किसी अधिवक्ता को प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है, वहाँ बीमाकर्ता के लिए विधिसम्मत होगा कि वह अपना मामला एक अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करे।

(ज) जाँच अधिकारी सभी संगत तथ्यों और बीमाकर्ता द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरणों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और दंड की सिफारिश प्रस्तावित उक्त दंड के औचित्य के साथ करेगा।

(झ) जाँच अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरांत, प्राधिकरण उस पर विचार करेगा और यदि उसके द्वारा आवश्यक समझा जाता है, तो एक कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि उसके द्वारा उपयुक्त समझी जानेवाली कार्रवाई बीमाकर्ता के विरुद्ध क्यों नहीं की जानी चाहिए।

(ञ) बीमाकर्ता उक्त कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति की तारीख से इक्कीस दिन के अंदर प्राधिकरण को उत्तर भेजेगा।

(य) प्राधिकरण कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर विचार करने के बाद, यथाशीघ्र परंतु उत्तर प्राप्त करने से तीस दिन के अंदर ऐसे आदेश पारित करेगा जैसा वह उपयुक्त समझेगा। यदि बीमाकर्ता द्वारा प्राधिकरण को कोई उत्तर उक्त नोटिस दिये जाने से लेकर 90 दिन के अंदर प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो प्राधिकरण उक्त मामले में एकपक्षीय निर्णय लेने के लिए अग्रसर हो सकता है।

- (र) प्राधिकरण द्वारा पारित किये गये आदेश में उसके लिए कारण दिये जाएँगे तथा उस आदेश के द्वारा लगाये गये दंड का औचित्य भी बताया जाएगा।
- (ल) प्राधिकरण दिये गये आदेश की एक प्रति बीमाकर्ता को उक्त आदेश पारित करने से सात दिन के अंदर प्रेषित करेगा।
- (5) **प्रमाणपत्र के निलंबन या निरसन का प्रभाव:** पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन या निरसन की तारीख को और उस तारीख से बीमाकर्ता नया बीमा व्यवसाय करना समाप्त करेगा:
- बशर्ते कि** सक्षम प्राधिकारी बीमाकर्ता को इन विनियमों के अंतर्गत पारित किये गये आदेश में विनिर्दिष्ट की जानेवाली अवधि के लिए वर्तमान पालिसीधारकों को सेवा प्रदान करना जारी रखने के लिए निदेश दे सकता है।
- (6) **आदेश का प्रकाशन:** इन विनियमों के उप-विनियम (2) के अधीन पारित आदेश उस क्षेत्र में जहाँ बीमाकर्ता के व्यवसाय का प्रधान स्थान या पंजीकृत कार्यालय है, कम से कम दो दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाएगा।

59. परिपत्र, दिशानिर्देश और निदेश जारी करने के लिए शक्ति

सक्षम प्राधिकारी इन विनियमों के संबंध में समय-समय पर यदि आवश्यक हो तो परिपत्र, दिशानिर्देश और निदेश जारी कर सकता है, जिनमें इन विनियमों की कार्यान्वयन प्रक्रिया के संबंध में अस्थायी उपबंध शामिल हैं परंतु जो इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

60. कठिनाइयाँ दूर करने और स्पष्टीकरण जारी करने के लिए शक्ति

इन विनियमों के किसी भी उपबंध के कार्यान्वयन अथवा उसका अर्थनिर्णय करने में उत्पन्न होनेवाली किसी भी शंका अथवा कठिनाई को दूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे गये रूप में उपयुक्त स्पष्टीकरण अथवा दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

61. निरसन और बचत

- (1) इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से निम्नलिखित विनियम निरस्त किये जाएँगे:
- (क) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2022
 - (ख) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अन्य प्रकार की पूँजी) विनियम, 2022
 - (ग) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (समामेलन होने पर शेयरधारकों या सदस्यों को क्षतिपूर्ति के निर्धारण का तरीका) विनियम, 2021
 - (घ) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय करनेवाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी का निर्गम) विनियम, 2015
 - (ङ) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी का निर्गम) विनियम, 2015
 - (च) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के सामेलन और अंतरण की योजना) विनियम, 2013
 - (छ) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (साधारण बीमा व्यवसाय के सामेलन और अंतरण की योजना) विनियम, 2011
- (2) जब तक इन विनियमों के द्वारा अन्यथा व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक उप-विनियम (1) में उल्लिखित विनियमों के संबंध में किये गये किसी कार्य या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में समझा जाएगा कि वह इन विनियमों के तदनुकूल उपबंधों के अंतर्गत किया गया है या की गई है।

देवाशीष पण्डा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./863/2023-24]

**अनुसूची 1 – योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंड
(विनियम 9 और विनियम 58 के उप-विनियम (2) का खंड (ज) देखें)**

“योग्य और उपयुक्त” स्थिति का निर्धारण – आवेदकों, प्रवर्तकों और/या निवेशकों की “योग्य और उपयुक्त” स्थिति निर्धारित करने के लिए निदर्शी मानदंड

यह निर्धारण करने में कि क्या बीमाकर्ता का प्रवर्तक या निवेशक होने के लिए कोई व्यक्ति और/या संस्था “योग्य और उपयुक्त” (फिट एण्ड प्रोपर) है या नहीं, संगत होने के तौर पर निम्नलिखित कारकों का ध्यान रखा जाएगा, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु जो केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- (1) व्यक्ति या संस्था की सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा और पिछला रिकार्ड।
 - (क) प्रवर्तक या निवेशक की वित्तीय शक्ति।
 - (ख) व्यवसाय, शोधन-क्षमता और विनियामक अपेक्षाएँ पूरी करने के लिए पूँजी जुटाने की क्षमता।
 - (ग) धनशोधन निवारण अधिनियम, फेमा और कराधान कानून सहित भारत में सभी प्रयोज्य कानूनों का अनुपालन।
 - (घ) निधियों का स्रोतीकरण करने के लिए पूँजी या वित्तीय बाजारों तक पहुँच की क्षमता जो भविष्य में पूँजी जुटाने की किसी आवश्यकता के लिए उपयोगी हो सकती है।
 - (ङ) व्यवसाय का रिकार्ड, व्यावसायिक और वित्तीय स्थिति तथा पिछला अनुभव।
- (2) समुचित सावधानी
 - (क) भारत में और/या भारत के बाहर, जैसा लागू हो, अन्य विनियामक निकायों द्वारा अनुमोदन या एनओसी;
 - (ख) प्रवर्तकों, निवेशकों या उसकी किसी समूह संस्था द्वारा भेदिया व्यापार, कपटपूर्ण या अनुचित व्यापार पद्धतियाँ या बाजार संबंधी छलयोजना;
 - (ग) भारत में या भारत के बाहर किसी विनियामक या सांविधिक या न्यायिक निकायों द्वारा व्यक्ति या संस्था या उसके किसी प्रवर्तक या समूह संस्था या उसके किसी केएमपी के विरुद्ध दोषसिद्धि सहित कार्यवाही।
- (3) पालिसीधारकों और कुल मिलाकर जनसाधारण के हित।
- (4) प्रबंधन और अभिशासन संरचना पर प्रभाव।
- (5) शेयरधारकों के बीच करार तथा नियंत्रण या प्रबंधन पर प्रभाव।
- (6) प्रवर्तक या निवेशक की शेयरधारिता का स्वरूप और पूँजी विन्यास।
- (7) निवेश के लिए निधियों का स्रोत।
- (8) बीमाकर्ता तथा बीमाकर्ता के निवेशकों और प्रवर्तकों के शेयरों का हिताधिकारी स्वामित्व।

फार्म आईआरडीएआई/आर3

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(प्राधिकरण की मुहर)

पंजीकरण प्रमाणपत्र

पंजीकरण संख्या:.....xxx.....

प्रमाणित किया जाता है कि (बीमाकर्ता का नाम और पता).....(xxxx).....

को बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (2ए) के उपबंधों के अनुसार आज दिनांक.....(xxx).....को(xxx).....श्रेणी का व्यवसाय करने के लिए पंजीकृत किया गया है।

हैदराबाद में आज दो हजार और.....(xxx).....के.....के.....वें दिन प्रदान किया गया है।

हस्ताक्षर

(सक्षम प्राधिकारी)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 20th March, 2024

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration, Capital Structure, Transfer of Shares and Amalgamation of Insurers) Regulations, 2024

F. No. IRDAI/Reg/6/200/2024.—In exercise of the powers conferred by section 3, section 3A, section 6A, section 35, sub-section (4A) of section 37A and section 114A of the Insurance Act, 1938 and section 14 and section 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999, the Authority, in consultation with Insurance Advisory Committee, hereby makes the following Regulations, namely: -

CHAPTER I-PRELIMINARY**1. Short Title and Commencement**

- (1) **Short Title:** These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration, Capital Structure, Transfer of Shares and Amalgamation of Insurers) Regulations, 2024.
- (2) **Commencement:** These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) These regulations shall be reviewed once in every 3 (three) years from the date of publication unless a review, repeal or amendment is warranted earlier.

2. Objective

To promote growth of insurance sector by simplifying the process of registration of insurer, transfer of shareholding, other forms of capital, amalgamation of insurers, listing of shares of insurers on stock exchange and to promote ease of doing business.

3. Definitions

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

- (a) **“Act”** means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);
- (b) **“Applicant”** means a company as defined in sub-section (20) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or a statutory body established by an Act of Parliament or co-operative society, who applies to the Authority seeking registration to carry on insurance business.
- (c) **“Appointed Date”** means
 - (i) For the purpose of Chapter VI, the date specified in the scheme as appointed date.
 - (ii) For the purpose of Chapter VII, the date mentioned in the scheme of amalgamation, notified by the Central Government in the official gazette in terms of sub section (4) of section 37A of the Act, on which the provisions of the Scheme of amalgamation shall come into force;
- (d) **“Assets”**, for the purpose of Chapter VII, includes all assets including the properties of the original insurer which shall, in terms of the Scheme, be taken over by the transferee insurer;
- (e) **“Authority”** means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under sub-section (1) of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);
- (f) **“Compensation”**, for the purpose of Chapter VII, means the amount assessed by the Authority in accordance with these regulations and payable either in cash or in kind to the shareholders or members whose interests in, or rights against, the transferee insurer resulting from amalgamation are less than his interest in, or rights against the original insurer;
- (g) **“Competent Authority”** means
 - (i) Chairperson, or
 - (ii) such whole-time member or such committee of the whole-time members or such officer(s) of the Authority, as may be determined by the Chairperson.
- (h) **“Encumbrance”** shall include -
 - (i) Pledge, lien, charge by whatever name called;
 - (ii) Any covenant, transaction, condition or arrangement in the nature of encumbrance, by whatever name called.

- (i) **“Foreign Investors”** shall have the same meaning assigned to it in sub-clause (g) of clause (1) of Rule 2 of Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015.
- (j) **“Foreign Promoter”** means the “foreign investors”, excluding individuals, which meet one or more of the following conditions:
- (i) who has been named as such in a prospectus or is identified by the company in the annual return referred to in section 92 of the Companies Act, 2013;
 - (ii) who has control over the affairs of the company, directly or indirectly whether as a shareholder, director or otherwise; or
 - (iii) in accordance with whose advice, directions or instructions, the Board of Directors of the company is accustomed to act:
- Provided that** nothing in sub-clause (iii) shall apply to a person who is acting merely in a professional capacity.
- (k) **“Indian Investors”** means “Investors” other than foreign investors.
- (l) **“Indian Promoter”** means -
- (i) a company as defined in the Companies Act, 2013 (18 of 2013), which is not a subsidiary as defined in clause (87) of section 2 of that Act:
Provided that a subsidiary company may be allowed to be a promoter of the applicant if it meets the following conditions:
 - a. The said company is listed on the stock exchange(s) in India;
 - b. The said company has its own source of funds, independent from its holding company;
 - c. The said company has a net worth of at least Rs.500 crore as at the end of the financial year preceding the date of application; and
 - d. The holding company of the said company is not subsidiary of any other company.
 - (ii) a banking company as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 but does not include a foreign bank set up as a wholly owned subsidiary or a branch in India.
 - (iii) a Core Investment Company under Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2016 as amended from time to time.
 - (iv) a public financial institution as defined in clause (72) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).
 - (v) a co-operative society registered under any relevant law for the time being in force.
 - (vi) a limited liability partnership formed under the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009).
 - (vii) a Non-Operative Financial Holding Company registered with Reserve Bank of India.
 - (viii) Any other person or entity as may be allowed by the Authority from time to time; which meets one or more of the conditions in clause (69) of Section 2 of Companies Act, 2013.
- (m) **“Investors”** mean a shareholder of an insurer who is not a Promoter of the insurer.
- (n) **“Key Management Person”** shall include members of the core management team of an insurer or applicant including all whole-time directors or Managing Directors or Chief Executive Officer and the functional heads one level below the Managing Director or Chief Executive Officer, including the Chief Financial Officer, Appointed Actuary, Chief Investment Officer, Chief Risk Officer, Chief Compliance Officer and the Company Secretary.
- (o) **“Liabilities”** for the purposes of Chapter VII, includes the liabilities including contingent liabilities, if any, of the original insurer which shall, in terms of the Scheme, be taken over by the transferee insurer;
- (p) **“Merged Entity”**, for the purpose of Chapter VI, means the resultant insurer consequent upon the implementation of the Scheme.
- (q) **“Original insurer”**, for the purpose of Chapter VII, means the insurer which is amalgamated with the transferee insurer as per the scheme of amalgamation;
- (r) **“Other Forms of Capital”** means the following instruments issued by an insurer in the manner specified under these regulations:

- (i) Preference Share Capital; or
 - (ii) Subordinated Debt.
 - (s) **“Preference Share Capital”** shall have the same meaning as assigned to it under the Companies Act, 2013.
 - (t) **“Preliminary Expenses”** means expenses relating to the formation of an applicant and shall include legal, accounting and share issue expenses incurred for the formation of the applicant and expenses incurred prior to grant of Certificate of Registration.
 - (u) **“Private Equity Fund”** includes -
 - (i) an Alternative Investment Fund or its manager registered with SEBI (Alternative Investment Fund) Regulations, 2012;
 - (ii) Any fund or its manager registered for the purpose of investment, with International Financial Services Centres Authority; or
 - (iii) Funds, formed specifically for the purpose of investment, which are registered or whose manager is registered with relevant financial sector regulator in any Financial Action Task Force compliant jurisdiction.
 - (v) **“Promoter”** means Indian Promoter or Foreign Promoter or both.
 - (w) **“Residual Value of Assets”**, for the purpose of Chapter VII, means the amount equal to the value of the assets of the original insurer as on the day immediately before the appointed date, less the total amount of liabilities thereof, computed in accordance with the provisions of Chapter VII;
 - (x) **“Scheme”** for the purposes of Chapter VI, means scheme of amalgamation and transfer formulated under section 35 of the Insurance Act, 1938 and not governed by section 37A of the Insurance Act, 1938.
 - (y) **“Scheme of amalgamation”** for the purposes of Chapter VII, means a scheme prepared by the Authority and sanctioned and notified by the Central Government under the provisions of Section 37A of the Act;
 - (z) **“Shareholders or members”** for the purposes of Chapter VII, mean the shareholders or members of the original insurer immediately before the appointed date as may be specified under the Scheme of amalgamation;
 - (aa) **“Special Purpose Vehicle”** means a company registered under the provisions of Companies Act, 2013 or a Limited Liability Partnership formed under the Limited Liability Partnership Act, 2008, for the purpose of making investment in an insurer.
 - (bb) **“Subordinated Debt”** means: (a) “Debenture” as defined in clause (30) of section 2 of the Companies Act, 2013; and (b) any other category of debt instrument as may be permitted by the Authority.
 - (cc) **“Transacting insurers”**, for the purpose of Chapter VI, means ‘transferor insurer’ and the ‘transferee insurer’
 - (dd) **“Transferee insurer”** means
 - (i) For the purpose of Chapter VI, the insurer into which the ‘Transferor insurer’ is proposed to be Amalgamated or which would acquire the undertaking(s) of insurance business under Scheme of amalgamation and transfer;
 - (ii) For the purpose of Chapter VII, the insurer with whom the original insurer is amalgamated in accordance with the scheme of amalgamation
 - (ee) **“Transferor insurer”**, for the purpose of Chapter VI, means the insurer or insurers, which would be amalgamated with the ‘Transferee insurer’ or which would transfer the undertaking of insurance business to the ‘Transferee insurer’ under the Scheme of amalgamation and transfer.
 - (ff) **“Transfer of Shares”** includes transfer of shares from existing shareholder(s) to another person and includes transmission and fresh issuance of the equity shares which leads to change in the shareholding pattern of an insurer.
2. All words and expressions used herein and not defined in these regulations but defined in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), or in the Insurance Regulatory and Development Authority Act,

1999 (41 of 1999) or Rules or Regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, Rules or Regulations.

CHAPTER II: REGISTRATION OF INSURER

4. Permissible Classes of Insurance Business

An applicant may make requisition for registration application for any one of the following class of business of insurance:

- (1) Life insurance business.
- (2) General insurance business.
- (3) Health insurance business exclusively.
- (4) Reinsurance business exclusively.

5. Disqualifications for Applicant: An applicant shall not be eligible to apply for the requisition in the following circumstances:

- (1) Where the requisition for registration application or the application for registration has been rejected at any time during two financial years preceding the date of application; or
- (2) Where Certificate of Registration has been cancelled by the Authority at any time during two financial years preceding the date of application; or
- (3) Where the name of the applicant does not contain the words 'insurance' or 'assurance' or 'reinsurance'.

6. Procedure for registration

(1) No-objection Certificate (NOC)

- (a) No company or co-operative society shall be incorporated in India with a name that contains words 'insurance' or 'assurance' or 'reinsurance' without obtaining a No-objection Certificate from the Competent Authority.
- (b) Upon request to issue the NOC in the specified format, NOC may be issued, after due examination of the said request.
- (c) The No-objection Certificate issued shall be valid for a period of 6 months from the date of the Certificate, within which period the applicant shall file the application for issuance of requisition for registration application, in the specified form i.e. Form IRDAI/R1:

Provided that the validity of the No-objection Certificate may be extended by the Competent Authority for a further period of three months for the reasons to be recorded in writing.

(2) R1 Approval

- (a) The Competent Authority, upon receipt of application for issuance of Form IRDAI/R1 and after examining the matters considered relevant to its satisfaction, may issue the Form IRDAI/R1 which shall be valid for a period of three months from the date of issuance of the said form, within which period the applicant shall submit the duly filled Form IRDAI/R1 to the Authority for its consideration:

Provided that the Competent Authority, by recording the reasons in writing, may reject the application for issuance of Form IRDAI/R1:

Provided further that the Competent Authority, by recording the reasons in writing, may extend the validity of the IRDAI/R1 Form by another three months.

- (b) Every application in the Form IRDAI/R1 shall be accompanied by
 - (i) the certificate of incorporation issued by Registrar of Companies in case of a company or registration certificate in case of co-operative society;
 - (ii) a certified copy of the Memorandum of Association and Articles of Association, where the applicant is a company and incorporated under the Companies Act, 2013 (18 of 2013); or a certified copy of the legislation of Parliament setting up the statutory body to carry on insurance business where the applicant is a statutory body; or a certified copy of bye-laws where the applicant is a co-operative society;
 - (iii) the name, address and the occupation of the directors of the promoter(s) and the applicant;

- (iv) a certified copy of the annual report of promoter(s) for up to the last five years, as applicable;
 - (v) a certified copy of the shareholders' agreement, as applicable, between promoter(s) and investor(s) of the applicant;
 - (vi) projection of business for five years duly approved by the Board of Directors of the applicant along with a certificate from a fellow member of Institute of Actuaries of India that the projections are reasonable and workable;
 - (vii) proof in support of payment of non-refundable fee of rupees five lakh along with applicable taxes towards processing the Form IRDAI/R1 through any of the recognised modes of electronic fund transfer.
- (c) The following factors, as may be considered relevant, shall be taken into account while processing the Form IRDAI/R1, including but not limited to the following:
- (i) the general track record of conduct and performance of each of the promoters and investors in the fields of business or profession they are engaged in;
 - (ii) the record of conduct and performance of the directors and persons in management of the promoters, investors and the applicant;
 - (iii) the financial strength of the promoters, investors and the applicant;
 - (iv) the capital structure of the promoters, investors and the applicant;
 - (v) the sources of meeting the capital requirements of the applicant;
 - (vi) shareholding pattern of the applicant and its promoter(s);
 - (vii) the ability of the applicant and its promoters to meet the obligation to provide life insurance or general insurance or health insurance to the persons residing in the rural sector, workers in the unorganised sector or informal sector or for economically vulnerable or backward classes of the society and other categories of persons specified by the Authority;
 - (viii) the ability to meet the obligation to underwrite insurance business in third party risks of motor vehicles as specified by the Authority;
 - (ix) the planned infrastructure of the applicant;
 - (x) the proposed business expansion plan for five succeeding years, including establishment of place of business in rural areas, to effectively carry out the insurance business; and
 - (xi) other relevant matters for carrying out the provisions of the Act.
- (d) The Competent Authority, after examining the matters considered relevant and upon satisfaction, shall issue the "R1" approval subject to the conditions as may be specified in the said approval letter. Along with the said approval letter, the applicant shall be issued the application for registration i.e. Form IRDAI/R2.
- (e) The "R1" approval shall be valid for a period of three months from the date of the said approval within which period the applicant shall submit duly filled Form IRDAI/R2 for consideration of the Authority:

Provided that the Competent Authority, by recording the reasons in writing, may extend the validity of the "R1" approval by a period of another three months.

(3) R2 Approval

- (a) Every application in the Form IRDAI/R2 as per the specified format shall be accompanied by
- (i) An affidavit by the applicant and its promoters that the paid-up equity capital of the applicant, after deducting the preliminary expenses, shall be adequate to comply with the requirements of section 6 of the Act.
 - (ii) A statement indicating the shareholding pattern of the applicant as on the date of the application.
 - (iii) An affidavit by the managing director or chief executive officer or whole-time director of the applicant, the promoter(s) and investor(s) of the applicant certifying that the holding of foreign paid-up equity capital, referred to in clause (b) of sub section (7A) of Section 2 of the Act, is calculated in accordance with Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015 read with these regulations and does not exceed seventy-four percent of the total paid-up

equity capital of the applicant:

Provided that in case of the Indian Promoter being a Limited Liability Partnership, such affidavit shall be signed by the Designated Partner:

Provided further that in case of applicant being a co-operative society, the affidavit shall certify that the holding of foreign capital, referred to in clause (c) of sub section (8A) of Section 2 of the Act, does not exceed twenty-six percent of the total capital of the applicant.

- (iv) In case the applicant has foreign investment, an affidavit by the managing director or chief executive officer or whole-time director of the applicant, the promoter(s) and investor(s) of the applicant certifying that the requirement of Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015 shall be complied with.
 - (v) In case the applicant has foreign investment exceeding forty-nine percent, an affidavit by the managing director or chief executive officer or whole-time director and the promoters of the applicant certifying that the requirement of Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015 shall be complied with.
 - (vi) A certified copy of the standard forms of the applicant and statements of the assured rates, advantages, terms and conditions to be offered in connection with insurance policies together with a certificate by a fellow member of Institute of Actuaries of India, in case of life insurance business, that such rates, advantages, terms and conditions are workable and sound.
 - (vii) A certified copy of the Memorandum of Understanding or Management Agreement or Shareholders Agreement or Voting Rights Agreements or any other agreements in whatsoever form entered into, between the promoters and the investors, if any, or amongst the promoters as a whole including copies of the support or comfort letters exchanged between the parties.
 - (viii) A certificate from a practicing chartered accountant or a practicing company secretary certifying that all the requirements relating to registration such as paid-up equity capital, foreign investment limits and other applicable requirements of laws for the time being in force including the Act have been complied with by the applicant.
 - (ix) Proof in support of payment of non-refundable fee of rupees five lakh along with applicable taxes towards processing the Form IRDAI/R2 through any of the recognised modes of electronic fund transfer.
- (b) Upon completion of the processing of the Form IRDAI/R2 but prior to its approval by the Authority, the applicant shall submit:
- (i) Evidence of applicant having received equity share application money in accordance with section 6 of the Act and complied with conditions of R1 approval granted to the applicant.
 - (ii) An affidavit by the applicant, promoters and the investors that upon grant of Certificate of Registration, the said share application money shall be converted into paid-up equity share capital of the applicant.
- (c) The Authority shall take into account the matters, as may be considered relevant, while processing the Form IRDAI/R2, including but not limited to the following:
- (i) the nature of insurance products proposed to be offered by the applicant;
 - (ii) the level of actuarial, accounting and other professional expertise within the management of the applicant;
 - (iii) the organization structure of the applicant to carry on all functions in respect of the insurance business;
 - (iv) the applicant is eligible, and in its opinion, is likely to meet effectively its obligations imposed under the Act;
 - (v) the financial condition of the promoters, investors and the general character of the management of the applicant are sound;
 - (vi) the volume of business likely to be available to, and the capital structure and earning prospects of the applicant will be adequate;
 - (vii) the interests of the general public will be served if the certificate of registration is granted to the applicant in respect of the class of insurance business specified in the application; and
 - (viii) the applicant has complied with the provisions of sections 2C, 5 and 31A of the Act and has

fulfilled all the requirements of these sections applicable to it.

(ix) all other relevant matters for carrying out the provisions of the Act.

(d) The Authority, after examining the matters considered relevant and upon its satisfaction, shall, at its discretion, issue the “R2” approval subject to the conditions as may be specified in the said approval letter.

(4) Grant of Certificate of Registration: After examining the matters considered relevant and upon its satisfaction, the applicant may be registered as an insurer for the class of business for which the applicant is found suitable and the Authority may grant the applicant the Certificate of Registration in Form IRDAI/R3 subject to the following conditions:

- (a) The applicant and its promoter(s) and investor(s) shall be “Fit and Proper” on a continuous basis;
- (b) The promoter(s) and investor(s) shall comply with the lock-in period specified in these regulations, on their shareholding from the date of grant of Certificate of Registration;
- (c) The applicant/insurer, its promoter(s) and investor(s) shall comply with the provisions of the Act as well as Rules, Regulations, Guidelines, Circulars etc. framed thereunder at all times.
- (d) The applicant, promoter(s) and the investor(s) shall at all times comply with all the applicable conditions, subject to which the certificate Form IRDAI/R3 has been issued;
- (e) The applicant shall furnish, within 15 days, evidence of applicant having allotted shares to its promoters and investors in accordance with section 6 of the Act and having complied with the conditions as per R1 approval and R2 approval.
- (f) Such other conditions as may be deemed fit at the time of grant of Certificate of Registration.

(5) Commencement of Insurance Business: An applicant which has been granted the Certificate of Registration under these regulations shall commence insurance business within 12 months from the grant of Certificate of Registration. In case, the applicant fails to commence business within the stipulated time, the certificate of registration shall not be valid:

Provided that in case the applicant is not in a position to commence the insurance business within the specified period of 12 months, it shall before the time limit expires, seek an extension from the Competent Authority through a written application specifying the reasons for not commencing business within the specified period:

Provided further that no extension of time shall be granted by the Competent Authority beyond 24 months from the date of grant of Certificate of Registration.

(6) Rejection of Application

- (a) The application for issuance of NOC may be rejected by the Competent Authority for reasons to be recorded in writing.
- (b) The R1 application may be rejected by the Competent Authority or the R2 application may be rejected by the Authority, after giving the applicant a reasonable opportunity of being heard, in following cases:
 - (i) Where an application is not complete in all respects.
 - (ii) Where the applicant has not met the stipulations as laid down in these regulations.
 - (iii) Where the requirements under the provisions of the Act or the Regulations framed thereunder are not met at any stage of the process.
 - (iv) For any other reasons to be recorded in writing.
- (c) The order rejecting the application shall be communicated by the Competent Authority to the applicant, in writing, within a period of thirty days of such rejection stating therein the grounds on which the application has been rejected.
- (d) An applicant, whose application for registration has been rejected at any stage, shall not be entitled to a Certificate of Registration.

(7) Withdrawal of Application:

- (a) Any applicant may apply to the Competent Authority for withdrawal of the application for registration at any stage of application, along with reasons.

- (b) The Competent Authority may approve or reject the said request for withdrawal for the reasons to be recorded in writing.
- (c) In case of rejection of request for withdrawal of application, the R1 application or R2 application, as the case may be, may be rejected in accordance with Regulation 6(6).

(8) Further Information and Clarification: The Competent Authority may require the applicant to furnish such further information or clarifications as may be considered relevant for the examination of the application filed under these regulations.

(9) Conditions for Approval:

- (a) The Competent Authority may impose such conditions as may be deemed fit at the time of grant of No-objection Certificate and R1 approval, or the Certificate of Registration.
- (b) The Authority may impose such conditions as may be deemed fit at the time of grant of R2 approval.

The applicant shall be bound by the conditions subject to which the approvals and/or certificate of registration has been issued.

CHAPTER III: CAPITAL STRUCTURE

7. Every applicant/insurer shall ensure that they are in compliance with the provisions of this Chapter on a continuous basis.

8. Lock-in period:

- (1) Equity shares of an insurer having its shares listed on any stock exchange(s) recognized in India shall not be subject to lock-in.
- (2) In case of insurers not having its shares listed on any stock exchange recognized in India, the equity shares of the insurer shall be under lock-in period as under:

Sl. No.	Particulars	Investment in the capacity of	Lock-in Period
1	Investment at the time of or before grant of R3 (i.e. Certificate of Registration)	Promoter or Investor	5 years from the date of grant of R3
2	Investment during 5 years post grant of R3: In case of change in shareholding pattern	Promoter or Investor	Earlier of the following: a) 5 years from the date of investment; or b) 8 years from the grant of R3.
3	Investment after 5 years but before 10 years post grant of R3: In case of change in shareholding pattern	Promoter	Earlier of the following: a) 3 years from the date of investment; or b) 12 years from the grant of R3
		Investor	Earlier of the following: a) 2 years from the date of investment; or b) 11 years from the grant of R3
4	Investment after 10 years but before 15 years post grant of R3: In case of change in shareholding pattern	Promoter	2 years from the date of investment
		Investor	1 year from the date of investment
5	Investment after 15 years post grant of R3	Promoter	1 year from the date of investment
		Investor	Nil

Provided that the Competent Authority may relax the lock-in period in following circumstances:

- (i) To enable the insurer to list its shares on the stock exchange(s) in India; or
- (ii) Under circumstances of distressed financial position, amalgamation or reorganization pursuant to change in applicable law of any insurer or its shareholder(s):

Provided further that the lock-in period shall not be applicable in case of equity shares allotted to employees or directors of the insurer pursuant to any scheme formed for the benefit of the employees or directors of the insurer:

Provided further that the lock-in period shall not be applicable in case of investor holding not more than one percent of the equity shares of the insurer.

9. Fit and Proper Criteria:

- (1) The applicant, its promoters and investors shall be assessed on the fit and proper criteria on the basis of factors, as may be considered relevant, including but not limited to those specified in **Schedule 1** of these regulations.
- (2) The applicant, promoters and investors shall be fit and proper on a continuous basis i.e., even after the grant of Certificate of Registration.
- (3) In case, the applicant, its promoters and/or investors are found to be not fit and proper at any stage, the Competent Authority may take such action as may be deemed appropriate.

10. Special Purpose Vehicle: In case the applicant is promoted by a Special Purpose Vehicle (SPV), the following conditions shall be complied with:

- (1) The SPV has not issued and shall not issue convertible instruments of any kind;
- (2) No stock options or sweat equity shares shall be issued to the employees or directors of SPV;
- (3) Prior approval of the Authority shall be obtained for transfer of shares of the SPV as per the limits specified under Section 6A of the Act in accordance with the manner specified in these regulations;
- (4) The investment limits, lock-in period and other requirements as per these regulations shall also be applicable at the SPV level;
- (5) The criteria as may be specified with respect to clause (c) of sub Regulation (2) of Regulation 6 shall also be applicable for the promoter and investor of the SPV;
- (6) Subject to Regulation 12(3), the equity shares to be issued by the SPV shall be valued at a price determined on the basis of valuation certificate issued by one SEBI Registered Category-I Merchant Banker. Such certificate shall not have been issued prior to ninety (90) days from the date of allotment of shares. The Merchant Bankers shall provide a proper report addressed to the Board of Directors with justification for such valuation. A copy of the summary along with critical elements of the valuation report shall be sent to the shareholders along with the notice of the general meeting; and
- (7) The paid-up capital of the SPV shall be equal to or more than the minimum paid up capital of the applicant required under section 6 of the Act.

11. Operating Company: In case the applicant is promoted by an operating company, the said promoter will be subject to necessary due-diligence including but not limited to the following:

- (1) The examination of the nature of operating company on the basis of substance over form;
- (2) The track record of business operations, liquidity and profitability;
- (3) Ability of the promoter to raise capital to meet the business and solvency requirements of the applicant, on an ongoing basis; and
- (4) The shareholding pattern of the promoter.

12. Minimum Paid-up Equity Capital:

- (1) The following shall be the minimum paid-up equity capital of the Applicant:

Class of Insurance Business	Minimum Paid-up Equity Capital
Life insurance business	Rupees one hundred crore
General insurance business	Rupees one hundred crore
Health insurance business exclusively	Rupees one hundred crore
Reinsurance business exclusively	Rupees two hundred crore

- (2) The paid-up equity capital of the applicant and SPV, if any, after deducting the preliminary expenses, shall be adequate to comply with the requirements of section 6 of the Act.
- (3) Till the time of commencement of insurance business:
 - (i) The equity shares of the Applicant and SPV shall be issued at its face value;

- (ii) The infusion of funds in the Applicant and SPV, by its shareholders, shall be commensurate with the percentage of their equity stake in the Applicant and SPV:

Provided that the issuance of equity shares of insurer or SPV may be permitted to be issued at premium, after the commencement of business.

13. Investment as “Promoter”: Investment in the capacity of promoter, directly or indirectly, in an insurer shall be in compliance with the following:

- (1) The person shall not be a promoter of more than one life insurer, one general insurer, one health insurer and one reinsurer:

Provided that the Competent Authority may permit a person to be promoter of more than one insurer engaged in the same class of insurance business on a temporary basis if the same is part of the Scheme filed with the Authority under section 35 of the Act.

- (2) The person shall submit an undertaking to infuse capital in the insurer to meet its solvency and/or business requirements, if any, in future; and
- (3) The person is otherwise eligible to act as promoter of the insurer under these regulations.

14. Promoter(s) Holding: The minimum equity shareholding of all the promoter(s) of the insurer shall be collectively maintained at above fifty per cent of the paid-up equity capital of the insurer, even after transfer of equity share holding from any promoter(s) to another promoter(s):

Provided that promoter(s), collectively, may dilute their stake in the insurer below fifty percent but not below twenty-six percent of the paid-up equity capital of the insurer in case the following conditions are complied with:

- (1) The insurer has track record of solvency ratio above control level during 5 years immediately preceding the dilution of stake by promoter(s), and
- (2) The shares of the insurer are listed on the stock exchange(s) in India:

Provided further that any shareholder shall be reclassified from promoter to investor, or vice versa, only after obtaining prior approval of the Competent Authority.

15. Investment as “Investor”: Investment in the capacity of investor, directly or indirectly, in an insurer shall be in compliance with the following:

- (1) The investment by a single “investor” shall be less than twenty-five percent of the paid-up equity capital of insurer.
- (2) The investment by all the “investors” collectively shall be less than fifty percent of the paid-up equity capital of the insurer:

Provided that the said restriction shall not be applicable in case the equity shares of the insurer are listed on the stock exchange(s) in India.

(3) **Number of Insurers:**

- (a) An investor may invest in any number of insurers provided that the investment does not exceed ten percent of the paid-up capital of the respective insurers.
- (b) In case of investment of more than ten percent but less than twenty-five percent of paid-up capital of the insurers, investment by the investor shall be restricted to not more than two insurers in each class of insurance business.
- (4) In case of a one-time investment by an investor in an unlisted insurer, the investor shall make an upfront disclosure to this effect to the insurer. In such a case, the promoter(s) shall submit an undertaking to the Authority to infuse capital in the insurer to meet its solvency and/or business requirements, if any, in future.

Provided that such an undertaking shall not be required for any investment by a person acquiring less than one percent of the paid-up share capital of the insurer.

16. Nomination of Director

- (1) The investor shall not nominate any director on the Board of the insurer if the investment by the said investor in the insurer does not exceed ten percent of the paid-up capital of the respective insurer.
- (2) The investor may nominate not more than one director on the Board of the insurer if its investment exceeds 10 percent of the paid-up capital of the respective insurer.
- (3) No shareholder shall nominate any director on the Board of any insurer if it has already nominated director on the board of any other insurer engaged in the same class of insurance business.

17. Additional Stipulations for Investment by promoter and/or investor: Investment shall also be in compliance with the following:

- (1) Investment shall be made entirely out of own funds and not from borrowed funds.
- (2) In case any of the group entities or body corporate under the same management have also invested in the insurer, the limits under these regulations shall apply at the group level.

For the purposes of this sub-regulation, the expressions “group” and “same management” shall have the meanings respectively as provided under explanation to section 6A(4)(b)(iii) of the Act.

- (3) In case of investment by any person or entity in more than one insurer, directly or indirectly:
 - (a) The person shall disclose the facts related to common holding to all the investee insurers;
 - (b) The person, jointly along with the insurer, shall put in place mechanism to avoid any conflict of interest that may arise due to the said common equity holding; and
 - (c) The director nominated by the said person shall recuse from the discussions on any matter pertaining to other investee insurer(s), where the conflict of interest may arise:

Provided that the stipulations as per sub-regulations (1) and (3) of this Regulation shall be applicable only to shareholders holding more than one percent of the equity capital of any insurer.

18. Criteria for Investment by the Private Equity Funds:

- (1) The private equity (PE) funds may invest in the applicant in the capacity of a promoter or investor in the manner as specified under these regulations.
- (2) Investment in the insurer, including proposed limit in respect of future capital requirement of the insurer, shall be as per the PE Fund’s strategy reflected in its placement memorandum to its investors or its charter documents.
- (3) A Private Equity Fund may invest in any insurer in the capacity of “Promoter”, only if it meets the following criteria:
 - (a) The manager of the PE Fund or its Parent Fund has completed ten years of operation;
 - (b) The funds raised by the PE Fund including its group entity(ies) is USD five hundred -million or more (or its equivalent in INR);
 - (c) The investible funds available with the PE Fund is not less than USD one hundred million ((or its equivalent in INR); and
 - (d) The funds managed by the manager of the PE Fund has invested in the financial sector in India or the other jurisdictions.

19. Manner of calculation of equity capital held by foreign promoter and foreign investor:

For the purposes of the Act and these regulations, the calculation of the holding of equity shares by one or more foreign investors and/or foreign promoters in the applicant company, shall be made as under and shall be aggregate of:-

- (1) the quantum of paid-up equity share capital held by the foreign Investor(s) and foreign promoter(s) including foreign venture capital investor(s), in the applicant company; and
- (2) the proportion of the paid-up equity share capital held or controlled by such foreign investor(s) or foreign promoter(s) either by itself or through its subsidiary companies in the Indian Promoter(s) or Indian Investor(s) as mentioned in sub-regulation (1) of this Regulation:

Provided that sub-regulation (2) shall not be applicable to an Indian Promoter or Indian Investor being the entities referred in sub-clause (ii) and (iv) of clause (1) of sub-Regulation (1) of Regulation 3:

Provided further that the sub-regulation (2) shall not be applicable to any Indian Promoter or Indian Investor of a listed insurer where such Indian Promoter and/or Indian Investor are regulated by Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India and/or National Housing Bank.

20. The Applicants as well as insurers are required to adhere to requirements specified in this Chapter, as applicable.

CHAPTER IV: TRANSFER OF SHARES

21. Requirement of Prior-Approval for transfer of shares:

No registration of transfer of shares or issue of equity capital of an insurer shall be made without prior-approval of the Authority in following cases:

- (1) Where after the transfer, the paid-up equity capital holding of transferee in the shares of the insurer is likely to exceed five percent of the paid-up equity capital of the insurer and any subsequent transfers where the shareholding of the transferee exceeds further 5% of the paid-up equity capital of the insurer, in a financial year.
- (2) the nominal value of shares intended to be transferred by an individual firm, group constituents of a group or body corporate under same management jointly or severally exceeds one percent of the paid-up equity capital of the insurer and for any subsequent transfers by the transferor where the paid-up equity capital of the insurer exceeds 1% of the paid-up equity capital, in a financial year.
- (3) For the purpose of calculating the quantum of transfer or acquisition of shares, the cumulative transfers or acquisitions made during a given financial year shall be considered, irrespective of number of transactions and number of transferees in case of a transferor and number of transferors in case of an acquirer:

Provided that in case of insurers having its equity shares listed on any stock exchange recognized in India, the above mentioned cumulation shall apply only with regards to equity shares held by a promoter of the insurers.

22. Manner of Obtaining Prior-Approval:

- (1) **Application in specified form:** The application seeking prior approval of the Authority under the provisions of Section 6A of the Act shall be made in form(s) as specified by the Authority, accompanied by the requisite documents and the details of the transferor and transferee as specified, providing complete details of the proposed transferee, its financial strength, sources of funds from which the proposed investment is intended to be made, and such other information as may be specified by the Authority.
- (2) **Declaration on Beneficial Shareholding:** The application for transfer of shares shall be accompanied by a declaration from the proposed shareholder whether the shares are proposed to be held for his own benefit or as a nominee, whether jointly or severally, on behalf of others and in the latter case giving the name, occupation and address of the beneficial owner or owners, and the extent of the beneficial interest of each.
- (3) **Certificate by Merchant Banker:** The application for transfer of shares shall be accompanied by a certificate from Category-I Merchant Banker registered under SEBI, certifying the fair value per share of the insurer. Such certificate shall not have been issued more than 30 days prior to the date of application:

Provided that Certificate by Merchant Banker shall not be required to be furnished in case the application is filed by any insurer having its shares listed on the stock exchange(s).

- (4) **Processing Fee:** Every application seeking prior approval for transfer of shares shall be accompanied with the proof of payment of non-refundable fee of rupees five lakh along with applicable taxes:

Provided that the said fee shall be rupees fifty lakh along with applicable taxes, where the transfer of shareholding exceeds fifty percent of the paid-up equity capital of the insurer.

23. **Due Diligence:** The Authority shall carry out the requisite due diligence of the proposed transferee prior to grant of approval for transfer of shares under the provisions of sub section (4) of Section 6A of the Act or for issue of shares to the proposed transferee.

24. **Conditions for Approval:** The Authority shall, while according its approval, specify such conditions on transferee as it may consider appropriate.

25. Transfer of shares in case of listed insurance companies:

- (1) Transfer of more than one percent but less than five percent of paid-up equity capital of any insurer having its equity shares listed on stock exchange recognized in India:
 - (a) Any person may transfer equity shares exceeding one percent but less than five percent of the paid-up equity capital of such insurer subject to filing self-certification with the insurer that such transfer is in compliance with other applicable laws. Such filing with the insurer shall be considered as the deemed approval of the Authority for the purpose of Section 6A(4)(b)(iii) of the Act.
 - (b) The transferor shall file the self-certification with the insurer immediately upon execution of the transaction. The transferor is required to ensure compliance for any transaction(s) aggregating to more than one per cent of the paid-up equity capital.

- (2) Acquisition exceeding five percent of paid-up equity capital of any insurer having its equity shares listed on a stock exchange recognized in India:
 - (a) Every person, in order to acquire equity shares of an insurer which shall or is likely to take the aggregate holding of such person in the said insurer to more than five per cent of the paid-up equity share capital of the insurer, shall seek prior approval of the Authority for such transfers in the manner as specified in the Regulation 22.
 - (b) For any subsequent acquisition of equity shares of the insurer, by such person, which shall or is likely to take aggregate holding in the said insurer to not more than ten per cent of the paid-up equity capital of the insurer, prior approval of the Authority shall not be required.
 - (c) Any subsequent acquisitions of equity shares of the insurer, by such person, which shall or is likely to take aggregate holding in the said insurer to more than ten per cent of the paid-up equity capital of the insurer, prior approval of the Authority shall be obtained in the manner specified in Regulation 22.
- (3) Notwithstanding any of the above, even when the acquisition or aggregate holding of any person is proposed to be less than five percent and if the concerned listed insurer suspects that dubious methods have been adopted to get over the ceiling of five percent to camouflage the real purpose by individuals or groups with a view to acquire controlling interest in the insurer, a reference shall be made to the Authority by the concerned insurer. In such cases, it shall be in order for the Authority to require such shareholders to comply with the Due Diligence and Fit and Proper criteria.

26. Pledge of Shares of Insurer:

- (1) The provisions relating to transfer of shares as contained in Section 6A(4)(b) of the Act and this chapter shall apply mutatis-mutandis to the creation of pledge or any other kind of encumbrance over shares of an insurer.
- (2) The promoter(s) and investor(s) of the applicant shall not create any encumbrance on the equity shares of the applicant or insurer during the applicable lock in period.

27. Reporting requirements:

- (1) Every insurer who has been granted registration under the Act shall, within 30 days of the end of every quarter, furnish, in the specified format, to the Authority a statement indicating changes exceeding 1% of the shareholding of the promoter. However, any change in excess of 5% of the shareholding of the promoters shall be reported to the Authority immediately.
- (2) Every insurer shall file a declaration on annual basis that its promoters and investors are 'Fit and Proper'.
- (3) Insurers shall forthwith inform the Authority if any non-compliance is observed with regard to the provisions of the Act, the Regulations and Guidelines framed thereunder and the Circulars issued thereunder.
- (4) In terms of Section 26 of the Act, an insurer shall forthwith furnish to the Authority the full particulars of any alteration which occurs or is made which affects any of the following matters:
 - (a) Any encumbrance created on the shareholding of the promoter,
 - (b) Any change in control of the promoter,
 - (c) Any penal or regulatory action taken against the promoter,
 - (d) Any other matters which may be specified from time to time.

28. Action for Violation or Non-Compliance

Any transfer of shares executed beyond the stipulated threshold limits by the shareholders, without prior approval of the Authority shall attract regulatory action and;

- (1) The transferee shall not have any voting rights in any of the meetings of the insurer.
- (2) The transferee shall promptly dispose of the excess shares acquired, beyond the specified threshold limit.

CHAPTER V: LISTING OF EQUITY SHARES OF INSURER ON STOCK EXCHANGE

29. An insurer may approach the appropriate financial sector regulator for listing of its equity shares, by way of divestment of equity shares by existing shareholders or fresh issue of equity shares by the insurer or both, on the stock exchange(s) recognized under Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 upon fulfilment of following conditions:
 - (1) The Board of the insurer resolves that such listing of equity shares is in the interests of policyholders.

- (2) The Board of the insurer resolves that the insurer shall be able to comply with the regulatory stipulations of the said financial sector regulator(s).
- (3) The listing of equity shares on stock exchange(s) shall not be used as medium to raise capital or transfer shares which would otherwise be in contravention to the applicable regulatory provisions.
- (4) All the regulatory provisions stipulated by the Authority shall be complied with scrupulously.
- (5) The insurer shall have obtained prior approval for transfer of shares for offer for sale and/or fresh issuance of shares, as may be required vide section 6A of the Act read with Regulation 21 of these regulations:

Provided that the submission of the details of transferee shall not be mandatory.

- (6) The insurers specified under section 10A of the General Insurance Business (Nationalization) Act, 1972 shall ensure compliance with the provisions of section 10B of the said Act.
- (7) The insurer shall file an intimation with the Authority at least 15 days before it approaches the appropriate financial sector regulator for listing of its equity shares. The insurer shall also keep the Authority informed regarding the subsequent developments in the said matter.
- (8) Any documents filed by the insurer under this chapter or any communications between insurer and the Authority with regard to proposed listing of equity shares shall not in any manner be deemed to be or serve as a validation by the Authority of the facts, representations, assertions or anything written in the offer documents. This fact shall be disclosed in bold letters in the offer document.
- (9) Such other conditions as may be specified.

CHAPTER VI: AMALGAMATION AND TRANSFER OF INSURANCE BUSINESS

30. No insurance business of an insurer shall be transferred to or amalgamated with the insurance business of any other insurer except in accordance with a scheme prepared under section 35 of the Act and approved by the Authority in the manner specified in this Chapter:

Provided that this Chapter shall not be applicable to companies which fall within purview of General Insurance Business (Nationalization) Act, 1972:

Provided further that applicability of this Chapter to Life Insurance Corporation of India shall be subject to the provisions of The Life Insurance Corporation Act 1956:

Provided further that this Regulation shall not be applicable in case of a Scheme prepared by the Authority under section 37A of the Act.

31. Application to be submitted to the Authority:

- (1) The transacting insurers shall submit notice of intention to make an application for implementation of the scheme, together with a statement of the nature of the amalgamation and transfer, along with the reasons thereof, and the documents as may be specified.
- (2) The transacting insurers shall immediately after filing of the notice of intention to the Authority:
 - (a) Cause a statement of the nature and terms of the amalgamation or transfer, as the case may be, to be published in newspaper (at least one National daily and one vernacular, copies of which shall be filed with the Authority).
 - (b) Cause copies of the proposed scheme to be kept open for inspection by policyholders at the registered office and main corporate office of the transacting insurers and simultaneously the same shall be uploaded on the website of the respective insurers. Such inspection and access to the documents referred to above shall be kept open until the complete implementation of the Scheme.
 - (c) Send a notice of the filing of the application in such form, including through the digital channels, as it may direct, to every person resident in India who is the holder of any insurance policy of any of the insurer concerned in the proposed transaction.
- (3) Application seeking 'in-principle' approval of the Authority in such form and manner as may be specified:

Provided that the application seeking 'in-principle' approval to implement the scheme shall be filed only after 2 months from the filing of date of notice of intention, as referred in sub-regulation (1) of this Regulation.
- (4) The application shall be examined on the basis of such factors as may be considered appropriate including but not limited to the impact of the scheme on
 - (a) the available solvency margin of the merged entity post-implementation of the scheme.

- (b) the compliance with other applicable laws and Regulations.
- (c) the Interests of the policyholders.
- (d) the orderly growth in the insurance sector.

32. In-principle approval by the Authority:

- (1) The Authority upon satisfaction of such matters as may be deemed fit may grant in-principle approval to the proposed scheme subject to such conditions as it may consider appropriate.
- (2) While granting such in-principle approval and during the period prior to the transacting insurers receiving the approval of the National Company Law Tribunal (NCLT) for the scheme of arrangement under the Companies Act, 2013, the Authority may, if so required, impose such requirements on the transacting insurers as it may consider necessary and appropriate (a) to ensure protection of the interests of the policyholders; (b) to ring fence the assets of the transacting insurers including stipulations for filing of information/reports at such periodicities as it may deem fit and (c) for such reasons as may be considered appropriate.
- (3) During the interim period, the transacting insurers shall ensure that the insurance operations are carried out in compliance with all requirements of the Insurance Act, 1938, the Regulations framed thereunder and the directions issued by the Authority.
- (4) Upon receipt of 'In-principle' approval of the Authority, the transacting insurers shall initiate steps to seek such other approvals as may be required including but not restricted to:
 - (a) Filing the scheme of arrangement (along with the 'in-principle' approval of the Authority) with the NCLT, for sanction of the scheme of arrangement in terms of the Companies Act, 2013 and compliance with all requirements under the Rules framed thereunder.
 - (b) Filing application with the Reserve Bank of India (RBI) seeking requisite approvals, if any.
 - (c) In cases where a foreign joint venture partner is also associated with the transaction, approval from the regulator in the relevant jurisdiction, if such approval is required; and
 - (d) Seek such other approvals as may be necessary, including those from the Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchange(s) and Competition Commission of India (CCI).

33. Final approval by the Authority

- (1) Every scheme under these regulations shall be implemented only after final approval of the Authority.
- (2) On completion of the various processes indicated in the foregoing Regulations in this Chapter and upon receipt of approvals from various applicable regulatory authorities and NCLT, as applicable, the transacting insurers shall approach the Authority for the final approval of the Scheme.
- (3) The Authority, upon satisfaction of such matters as may be considered appropriate, may grant its final approval to the Scheme.

34. Effect of Final Approval

- (1) The transacting insurers would ensure that the Scheme as finally approved is consistent with:
 - (a) The requirements of the Insurance Act, 1938 and Rules/Regulations framed thereunder
 - (b) such conditions, requirements or stipulations as might have been imposed by the Authority and/or the other authorities while according their regulatory approval.
- (2) The amalgamation and transfer of insurance business, as envisaged in the scheme, shall be effective from such date as shall be specified while granting its final approval to the Scheme.
- (3) On and from the date of coming into operation of the scheme or any provisions thereof, the scheme or such provisions shall be binding on the transacting insurers and also on all the shareholders, policyholders and other creditors and employees of each of the transacting insurers, and on any other person having any right or liability in relation to any of the transacting insurers.
- (4) On and from the date of the coming into operation of the scheme, the properties and assets of the transferor insurer shall, by virtue of and to the extent provided in the scheme, and transferred to and vest in, and the liabilities of the transferor insurer shall, by virtue of and to the extent provided in the Scheme, stand transferred to and become the liabilities of the transferee insurer.
- (5) Publication of notice in the newspaper about completion of the process (at least one National Daily and one vernacular, copies of which shall be filed with the Authority).

- (6) The transferee insurer shall, within such time after the implementation of the scheme as may be specified, furnish such documents and information, as may be specified.

35. Powers of Authority:

- (1) The Authority may issue such directions as it deems fit, taking into account the facts and circumstances of each case, regulatory objectives, the interests of policyholders and orderly growth of the insurance sector, in relation to any sequencing of measures involved in the Scheme being approved by it.
- (2) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of the Scheme, the Authority may by order issue such directions which appear to it necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty.
- (3) In case of life insurers, if the arrangement involves a reduction of the amount of the insurance and other contracts of the transferor insurer(s) concerned in the amalgamation, the Authority may approve the arrangement reducing the amount of such contracts upon such terms and subject to such conditions as the Authority may think proper, and the reduction of contracts as approved by the Authority shall be valid and binding on all the parties concerned.
- (4) The Authority may, at any time prior to granting final approval to the proposed scheme, cause an independent actuarial valuation of the insurance business (encompassing the assets, liabilities and solvency position) of the transacting insurers.
- (5) The Authority may also pass such consequential Order as may be necessary to give effect to the Scheme.

36. Payment of non-refundable fee for processing of the application

- (1) The non-refundable fee for the processing of the application for an 'in-principle' approval shall be remitted to the Authority by the transacting insurers.
- (2) The fee shall be one-tenth of one per cent of the total gross premium written direct in India by the each of the transacting insurers during the financial year preceding the financial year in which the application for 'in-principle' approval is filed with the Authority.
- (3) For each of the transacting insurers, the fee shall be subject to a minimum of rupees fifty lakh but shall not be higher than rupees five crore.

CHAPTER VII : MANNER OF ASSESSMENT OF COMPENSATION TO SHAREHOLDERS OR MEMBERS IN CASE OF AMALGAMATION UNDER SECTION 37A OF THE ACT

37. Every person who, immediately before the appointed date, is registered as a shareholder or a member of the original insurer and the interest in, or rights of such shareholder or member against the transferee insurer are less than the interest in, or rights against the original insurer, shall be eligible for compensation in accordance with these regulations:

Provided that the eligible shareholders or members shall be considered for payment of such compensation only where the residual value of the assets is positive.

38. The compensation assessed in accordance with the provisions of these regulations shall be paid either in cash or in kind or partially in cash and partially in kind.
39. The Authority shall assess the compensation payable to the shareholders or members of the original insurer, whose interest in, or rights against the transferee insurer are less than their interest in or rights against the original insurer, on the basis of the residual value of the assets as arrived at in accordance with Regulation 40.
40. Methodology for assessment of Compensation to Shareholders or Members:

- (1) The residual value shall be apportioned in the following order of preference-

- (a) Subordinated debt under the head "other forms of capital";
- (b) Preference share capital under the head "other forms of capital";
- (c) Shareholders or members of the original insurer

Explanation:

- (i) Order of preference shall be applicable only where the liabilities under clause (a) and (b) have not been taken over by the transferee insurer;
- (ii) it is further clarified that in case of clause (a) and (b) above, at each stage of the distribution of proceeds in respect of a class of recipients that rank equally, each of the class will either be paid in full, or in equal proportion within the same class of recipients, if the proceeds are insufficient to meet the obligations.

- (2) The remaining residual value arrived at in accordance with sub-regulation (1) of this Regulation shall be distributed to every eligible shareholder or member in such proportion as the amount of paid-up capital of the shares held by such shareholder or member bears to the total paid up capital of the original insurer.
- (3) For the purpose of computation of residual value of assets by the Authority, "assets" shall be the sum total of the following: -
- (a) the amount of cash in hand and the amount of balances with any bank immediately before the appointed date, whether in deposit or current account, and money at call and short notice, balance held outside India being converted at the market rate of exchange;
 - (b) the market value, as on the day immediately before the appointed date, of any securities, shares, debentures, bonds and other investments, held by the original insurer concerned;

Explanation -For the purposes of this clause, -

- (i) where the market value of any security, share, debenture, bond or other investment is not considered reasonable by reason of its having been affected by abnormal factors, such investment may be valued on the basis of its average market value over any reasonable period;
 - (ii) where the market value of any security, share, debenture, bond or other investment is not ascertainable, only such value, if any, shall be taken into account as is considered reasonable having regard to the financial position of the issuing concern, the dividend paid by it during the preceding five years and other relevant factors.
- (c) the amount of advances (including loans), other debts, whether secured or unsecured, to the extent to which they are reasonably considered recoverable;
 - (d) the value of any land or buildings;
 - (e) the total amount of premia paid, in respect of all leasehold properties, reduced in the case of each such premium by an amount which bears to such premium the same proportion as the expired term of the lease in respect of which such premium shall have been paid bears to the total term of the lease;
 - (f) the written down value as per books, or the realisable value, as may be considered reasonable, of all furniture, fixtures and fittings;
 - (g) the market or realisable value, as may be appropriate, of the other assets appearing in the books of the original insurer.
- (4) For the purpose of computation of residual value of assets by the Authority, "liabilities" shall be the total value of
- (a) all liabilities existing as on the appointed date, and
 - (b) all contingent liabilities which the transferee insurer may reasonably be expected to discharge on or after the appointed date under the scheme of amalgamation:

Provided that (i) policyholders' liabilities in case of a life insurer; and (ii) IBNR and IBNER liabilities in case of a general insurer shall be taken on the basis of the valuation determined by an independent actuary.

CHAPTER VIII : OTHER FORMS OF CAPITAL

41. An insurer may raise funds by issuance of 'Other Forms of Capital' in the manner specified in this Chapter.
42. **Qualification for "Other Forms of Capital":** Preference Share Capital or Subordinated Debt shall qualify as "Other Forms of Capital" provided all of the following criteria are met:
- (1) The instruments must be issued and be fully paid-up in cash;
 - (2) The seniority of the claims shall be governed by the following order, *seriatim*:
 - (a) Claims of Policyholders;
 - (b) Claims of Creditors;
 - (c) Claims of Subordinated Debt holders;
 - (d) Claims of Preference Shareholders;

- (e) Claims of Equity Shareholders.
- (3) The instruments shall neither be secured nor covered by a guarantee of the insurer or other arrangements that legally enhance the seniority of the claims as specified in this Chapter.
- (4) The maturity period of the instruments issued by insurer under this Chapter shall not be less than as under:

Instrument	Life Insurer, General Insurer or Reinsurer	Health Insurer
Preference Share Capital	Ten Years	Seven Years
Subordinated Debt	Ten Years	Seven Years

43. Conditions for issue of “Other Forms of Capital”: Issuance of “Other Forms of Capital” is subject to the following conditions:

- (1) All instruments shall be non-convertible, fully paid up and unsecured;
 - (2) Investment in such instruments by Foreign Investors including Foreign Institutional Investors (FIIs) or Foreign Portfolio Investors (FPIs) shall be subject to the following:
 - (a) The aggregate investment by all Foreign Investors including FIIs and FPIs shall not exceed the limits specified in FEMA Act, 1999, Regulations or any other stipulations issued thereunder;
 - (b) The issuance of the preference shares and Subordinated Debt to Foreign Investors including FII and FPIs shall be in compliance with the pricing guidelines as may be applicable;
 - (c) The terms and conditions, if any, stipulated by SEBI / other regulatory authorities in regard to issue of the aforesaid instruments shall be complied with;
 - (d) Compliance with all directions, notification, order etc. issued by the Reserve Bank of India (RBI);
 - (e) Compliance with the directions/instructions issued by the Central government with respect to Foreign Direct Investment;
 - (f) The insurers shall be permitted to list their Subordinated Debt only on the Indian stock exchanges.
 - (g) The insurers shall not issue any instruments under this Chapter with ‘Put Option’.
 - (h) Any other condition as may be specified.
 - (3) No incentives shall be payable by the insurer to preference shareholders and holders of Subordinated Debt for early redemption of instruments;
 - (4) The rate of dividend payable to the preference shareholders or interest payable to the Subordinated Debt holders may be either a fixed rate or a floating rate. Such rate shall be with reference to a market determined rupee interest benchmark rate;
 - (5) Interest on Subordinated Debt shall be charged to the Profit & Loss Account and dividend on preference shares shall be paid out of the distributable profit of the shareholders;
 - (6) The solvency margin of the insurer shall remain above the Control Level of Solvency;
 - (7) In the event of cancellation of dividend distribution on preference shares or failure to service the Subordinated Debt, no restrictions shall be imposed on the insurer, except for distribution of dividend to equity shareholders;
 - (8) Insurer shall ensure compliance with all regulatory requirements, including but not limited to Corporate laws and all other stipulations as may be applicable;
 - (9) Such other conditions as may be stipulated.
- 44. Prior Approval:** The insurer shall require prior approval of the Competent Authority for accrual or payment of dividend for preference shares or interest on any Subordinated Debt for any financial year if:
- (1) The solvency margin is below the Control Level of Solvency; or
 - (2) The impact of such accrual or payment would result in the Control Level of Solvency falling below or remaining below the regulatory requirement specified by the Authority; or
 - (3) The impact of accrual or payment of interest results in net loss or increases the net loss.
- 45. Reporting requirements:** The insurer issuing the instruments under these regulations, shall within 15 days

from the date of allotment, submit the details of the funds raised through issue of these instruments, along with the details as may be specified.

46. Classification in the Balance Sheet: The Balance Sheet to be prepared by the insurer shall classify instruments issued by an insurer under these regulations as under :-

- (1) In case of Preference Share Capital, under the head “Share Capital” in the relevant schedule;
- (2) In case of Subordinated Debt, under the head “Borrowings” in the relevant schedule;
- (3) In case, any instrument is issued at a premium, the premium received shall be shown under the head “Securities Premium” in the relevant schedule.

47. Disclosure: The insurer shall disclose the amount raised through the issue of instruments under these regulations along with a gist of the terms of issue and the maturity / redemption period in the Notes to the Accounts forming part of the Annual Financial Statements prepared.

48. Call Back of Instruments

- (1) Issuance of instrument with ‘Call Option’: An insurer may issue any instrument under these regulations with a “call option” subject to the condition that Call option may be exercised after the instrument has run at least for a period of five completed years from the date of issuance.
- (2) Exercise of Call Option: insurer may exercise the call option without the prior approval of the Competent Authority:

Provided that such prior approval of the Competent Authority is required, if after exercising such call option, the solvency position of insurer is not, at least twenty percent above the Control Level of Solvency margin (e.g. $1.50 + 20\% \text{ of } 1.50 = 1.8$).

- (3) While considering the proposals, as at proviso to (2) above, received from the insurer for exercising the call option, the Competent Authority shall, amongst other things, take into consideration the insurer’s solvency position and future business plans, both at the time of exercise of the call option and after exercise of the call option;
- (4) Insurers shall inform the Authority of the call options exercised, within 15 days from the date of communication of exercise of option.

49. For the purposes of these regulations, it is hereby expressly clarified that any event of non-payment of Interest and non-repayment of the redemption amount of the Subordinated Debt by the insurer shall not be construed to be an event of default and shall not be qualified to be included in an event of default intimation.

50. Subscribers to the Instruments: The issuance of such instruments may be subscribed by any person as may be specified subject to compliance of all other applicable laws.

51. Investment by an insurer in “Other Forms of Capital” of another insurer: An insurer may invest in the “Other Forms of Capital” issued by another insurer subject to the following:

- (1) such investments shall only be classified under “Other investments”;
- (2) such instruments shall be subject to the exposure norms as specified in applicable Regulations.
- (3) Such investments shall not qualify as an admissible asset for determining the Control Level of Solvency margin:

Provided that the existing investments in the Other Forms of Capital instruments of the insurers will continue to be admitted towards the calculation of available solvency till such investments are transferred/redeemed.

- (4) Insurer shall not invest in the Other Forms of Capital of another insurer having a common promoter.

52. Grant of Loans against the Instruments: Insurers shall not grant any loan against the security of the instruments issued by them.

53. Limit for Other Forms of Capital: The total quantum of the instruments under Other Forms of Capital taken together shall be lower of the following, at any point in time:

- (1) Fifty percent of the total paid-up equity share capital and securities premium of an insurer;
- (2) Fifty percent of the net worth of the insurer.

54. Amortization of the instruments for the purpose of computing solvency

- (1) The instruments issued as “Other Forms of Capital”, net of hair cut as specified in sub – Regulation (2) herein below, shall be counted towards “Available Solvency Margin” of the insurer.

- (2) The instruments shall be subjected to a progressive hair cut for the purpose of computation of “Available Solvency Margin” on straight-line basis in the final five years prior to maturity. Accordingly, as these instruments issued under this Chapter approach maturity, the outstanding balances are to be reckoned for inclusion in capital as indicated in Table “A” below:

TABLE-A

Years to Maturity	% of Capital Included in Available Solvency Margin
5 years or more	100%
4 years and less than 5 years	80%
3 years and less than 4 years	60%
2 years and less than 3 years	40%
1 year and less than 2 years	20%
Less than 1 year	0%

In effect, the amount arrived at after making the above said adjustment alone shall be eligible for inclusion in “Available Solvency Margin”.

Further, determination of such hair cut shall be applied at the end of each financial quarter based on the “years to maturity”.

55. Responsibility of the Board of the Insurer

- (1) For issuance of preference shares, a resolution by the Board of Directors of the insurer and a special resolution shall be passed in the general body meeting of the shareholders of the insurer authorizing the issue of such preference shares;
- (2) For issue of any Subordinated Debt, a resolution by the Board of Directors of the insurer shall be passed authorizing the issue of such Subordinated Debt;
- (3) The Board of Directors of the insurer shall ensure that it is rational for insurer to issue Other Forms of Capital to meet its capital and / or solvency requirement.
- (4) The Board of Directors of the insurer which has raised Other Forms of Capital shall ensure:
 - (a) compliance with these regulations at all times;
 - (b) the reasonableness of the interest/coupon rate for Subordinated Debt or dividend rate for Preference Shares.

CHAPTER IX : MISCELLANEOUS

56. Annual Fee

- (1) An insurer who has been granted a Certificate of Registration under section 3 of the Act shall pay, an annual fee along with applicable taxes for every financial year to the Authority before 31st day of January of the preceding financial year.
- (2) The annual fee shall be higher of:
 - (a) Rupees Ten lakh, or
 - (b) One-twentieth of one per cent of total gross premium written direct by an insurer in India during the financial year preceding the year in which the annual fee is required to be paid, or rupees fifteen crore whichever is less:

Provided that in the case of an insurer carrying on solely re-insurance business, instead of the total gross premium written direct in India, the total premium in respect of facultative

reinsurance accepted by it in India shall be taken into account.

- (3) The annual fee shall be paid into the account of Insurance Regulatory and Development Authority of India. The annual fee shall be remitted through any of the recognized modes of electronic funds transfer.
- (4) If the insurer fails to deposit the annual fee before the date specified in sub-regulation (1), the Competent

Authority may accept the payment of annual fee along with an additional fee by way of penalty of

- (a) Two percent of the annual fee if the fee is paid within 30 days after the expiry of the last date of payment of annual fee; or
 - (b) Ten percent of the annual fee if the fee is paid after expiry of the last date of payment stipulated in this Regulation but before the end of financial year in which the annual fee was required to be paid.
- (5) Where the insurer has failed to pay the fee before the end of the financial year in which it is due to be paid, certificate of registration is liable to be cancelled.

57. Issue of duplicate certificate: The Competent Authority may, on receipt of fee of rupees five thousand along with applicable taxes, issue a duplicate certificate to an insurer, if the insurer makes an application to the Authority in Form IRDAI/R4, as specified.

58. Suspension or Cancellation of Certificate of Registration

(1) Cancellation of registration pursuant to voluntary surrender of Certificate of Registration by Insurer:

- (a) The insurer may surrender the Certificate of Registration granted to it and may request the Authority to cancel the same in the cases as may be specified.
- (b) The Authority, after examining the request, may cancel the Certificate of Registration subject to such conditions as may be necessary to protect the interests of the policyholders of the insurer.

(2) Suspension or Cancellation of registration: Without prejudice to any penalty which may be imposed or any action taken under the provisions of the Act, the registration of any insurer may be suspended or cancelled by the Authority for a class or classes of insurance business for such period as may be specified by an Order under the following circumstances:

- (a) the insurer fails, at any time, to comply with any provisions of the Act in general and provision of Section 64V and Section 64VA of the Act in particular,
- (b) the insurer is in liquidation or is adjudged as an insolvent,
- (c) the business or a class of the business of the insurer has been transferred to any person or has been transferred to or amalgamated with the business of any other insurer without the approval of the Authority,
- (d) defaults in complying with, or acts in contravention of, any requirement of the Act or of any Rule or any Regulation, Direction or Order issued by the Authority, particularly if the insurer:
 - (i) conducts its business in a manner prejudicial to the interest of the policyholders;
 - (ii) fails to furnish any information as required by the Authority relating to its insurance business;
 - (iii) does not submit periodical returns as required under the Act or as directed by the Authority;
 - (iv) does not cooperate in any inquiry conducted by the Authority;
 - (v) indulges in manipulative practices;
 - (vi) indulges in unfair trade practices;
 - (vii) fails to make investment in the infrastructure or social sector specified in the Regulations.
- (e) the Authority has reasons to believe that any claim upon the insurer arising in India under any policy of insurance remains unpaid for three months after final judgment in regular court of law,
- (f) the insurer carries on any business other than the class of insurance business for which registration has been granted by the Authority or any specified business,
- (g) the insurer defaults in complying with any direction issued or order made, as the case may be, by the Authority under the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999,
- (h) the insurer defaults in complying with, or acts in contravention of, any requirement of the Companies Act, 2013, or the General Insurance Business (Nationalization) Act, 1972 or the Foreign Exchange Management Act, 1999 or the Prevention of Money Laundering Act, 2002 or Rules and/or Regulations framed thereunder;
- (i) the insurer fails to pay the annual fee required under section 3A of the Act, or
- (j) Insurer or promoter of the insurer are no more compliant with the “Fit and Proper” criteria specified as per **Schedule 1**; or
- (k) the insurer is convicted for an offence under any law for the time being in force:

Provided that the Authority for reasons to be recorded in writing may, in case of repeated defaults of the type mentioned above, impose a penalty of cancellation of Certificate of Registration.

(3) Procedure for Suspension of Certificate of Registration

- (a) No order of suspension of Registration under sub-regulation (2) shall be imposed without granting an opportunity of being heard to the insurer.
- (b) The Authority shall serve a show-cause notice to the insurer seeking explanation from the insurer as to why action against the insurer should not be taken. The show-cause notice shall include the charges or reasons for which the action is proposed to be taken.
- (c) The Authority shall allow a time period of twenty-one days for the insurer to respond to the show-cause notice:

Provided that in cases where it is considered appropriate to take immediate action to protect the interests of the policyholders, the insurer may be asked to submit its response within such period as may be deemed appropriate to the Authority.

- (d) The Authority after considering the reply to the show-cause notice, shall as soon as possible but not later than thirty days from the receipt of the reply, pass such orders as it deems fit. If no reply is furnished to the Authority by the insurer within the time period as per the show cause notice, the Authority can proceed to decide the issue ex-parte.
- (e) An order passed by the Authority shall give reasons therefor including justification of the penalty imposed by that Order.
- (f) The Authority shall send a copy of the Order made to the insurer within seven days of passing the Order.

(4) Procedure for Cancellation of Certificate of Registration

- (a) No order of cancellation of Registration under sub-regulation (2) shall be made except after holding an enquiry in accordance with the procedure specified in these regulations.
- (b) For the purpose of holding an enquiry under this Regulation, the Authority may appoint an enquiry officer.
- (c) The enquiry officer shall issue a notice to the insurer at the registered office or the principal place of business of the insurer.
- (d) The insurer may, within twenty-one days from the date of receipt of such notice, furnish to the enquiry officer a reply, together with copies of documentary or other evidence relied upon by it or sought by the Authority from the insurer.
- (e) The enquiry officer shall give a reasonable opportunity of being heard to the insurer to enable it to make submissions in support of its reply.
- (f) If it is considered necessary, the enquiry officer may ask the Authority to appoint a presenting officer to present its case.
- (g) The insurer may appear before the enquiry officer, either in person or through any person duly authorised by the insurer:

Provided that no advocate shall be permitted to represent the insurer at the enquiry:

Provided further that where an advocate has been appointed by the Authority as the presenting officer, it shall be lawful for the insurer to present its case through an advocate.

- (h) The enquiry officer shall, after taking into account all relevant facts and submissions made by the insurer, submit a report to the Authority and recommend the penalty as also the justification of the penalty proposed.
- (i) On receipt of the report from the enquiry officer, the Authority shall consider the same and if considered necessary by it, issue a show-cause notice as to why an action, as it considers appropriate, should not be taken against the insurer.
- (j) The insurer shall, within twenty-one days of the date of receipt of the show-cause notice, send a reply to the Authority.
- (k) The Authority after considering the reply to the show-cause notice, shall as soon as possible but not later than thirty days from the receipt of the reply, pass such orders as it deems fit. If no reply is furnished to the Authority by the insurer within 90 days of the servicing of the notice, the Authority can proceed to decide the issue ex-parte.
- (l) The Order passed by the Authority shall give reasons therefor including justification of the penalty imposed by that Order.

(m) The Authority shall send a copy of the Order made to the insurer within seven days of passing the Order.

- (5) **Effect of suspension or cancellation of Certificate:** On and from the date of suspension or cancellation of the Certificate of Registration, the insurer shall cease to transact new insurance business:

Provided that the Authority may direct the insurer to continue to service the existing policyholders for such period as may be specified in the Order made under these regulations.

- (6) **Publication of order:** The Order passed under sub regulation (2) of this Regulation shall be published in at least two daily newspapers in the area where the insurer has its principal place of business or registered office.

59. Power to issue circulars, guidelines and directions

The Competent Authority may issue circulars, guidelines and directions if necessary, from time to time, relating to these regulations, including, but not limited to, transitory provisions regarding implementation process of these regulations.

60. Power to remove difficulties and issue clarifications:

In order to remove any doubts or difficulties that may arise in the application or interpretation of any of the provisions of these regulations, the Competent Authority may issue appropriate clarifications or guidelines as deemed necessary.

61. Repeal and Savings

- (1) The following regulations shall be repealed from the date these regulations come into force:

- (a) Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2022
- (b) Insurance Regulatory and Development Authority of India (Other Forms of Capital) Regulations, 2022
- (c) Insurance Regulatory and Development Authority of India (Manner of Assessment of Compensation to Shareholders or Members on Amalgamation) Regulations, 2021
- (d) Insurance Regulatory and Development Authority of India (Issuance of Capital by Indian Insurance Companies transacting other than Life Insurance business) Regulations, 2015
- (e) Insurance Regulatory and Development Authority of India (Issuance of Capital by Indian Insurance Companies transacting Life Insurance business) Regulations, 2015
- (f) Insurance Regulatory and Development Authority (Scheme of Amalgamation and Transfer of Life Insurance Business) Regulations, 2013
- (g) Insurance Regulatory and Development Authority (Scheme of Amalgamation and Transfer of General Insurance Business) Regulations, 2011

- (2) Unless otherwise provided by these regulations, anything done or any action taken or purported to have been done or taken in respect of the regulations mentioned in sub-regulation (1) above shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these regulations.

DEBASISH PANDA, Chairperson
[ADV.T.-III/4/Exty./863/2023-24]

Schedule 1: Fit and Proper Criteria

(Refer Regulation 9 and clause (j) of sub-Regulation (2) of Regulation 58)

Determination of “Fit and Proper” Status - Illustrative criteria for determining “fit and proper” status of applicants, promoters and/or Investors

In determining whether any individual and/or entity is “fit and proper” to be a promoter or investor of Insurer, the following factors, as may be relevant, shall be taken into account, **including but not limited to the following:**

- (1) The individual or entity’s integrity, reputation, track record:

- (a) The financial strength of the promoter or investor.
- (b) Ability to infuse capital to meet business, solvency and regulatory requirements.
- (c) Compliance with all applicable laws in India including Prevention of Money Laundering Act, FEMA and taxation law.
- (d) Ability to access capital or financial markets to source funds that may be needed for any future capital infusion.

- (e) Business record, business and financial position and past experience.
- (2) Due-diligence
- (a) Approval or NOC by other regulatory bodies in India and/or outside India, as applicable;
- (b) Insider trading, fraudulent or unfair trade practices or market manipulation by the promoters, investors or any of its group entities.
- (c) Proceedings including conviction against the individual or entity or any of its promoter or group entities or any of its KMPs, by any regulatory or statutory or judicial bodies in India or outside India.
- (3) Interests of policyholders and general public at large.
- (4) Impact on the management and governance structure.
- (5) Agreement between shareholders and impact on control or management.
- (6) Shareholding pattern and Capital structure of the promoter or investor.
- (7) Source of funds for investment.
- (8) Beneficial ownership of shares of the insurer and the investors and promoters of the insurer.

FORM IRDAI/R3**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA****(Seal of the Authority)****CERTIFICATE OF REGISTRATION**

Registration Number:xxx....

This is to certify that (Name of insurer and address)(xxxx).....

has this day.....(xxx)....been registered in accordance with the provisions of sub section (2A) of section 3 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) to transact the(xxx).....class of business.

Given under the seal of the Authority at Hyderabad this....(xx)day of...(xxx)...two thousand and(xxx).....

Signature**(Competent Authority)****INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA**